

2 अध्याय

वित्त लेखों पर टिप्पणियां

अध्याय

2

वित्त लेखों पर टिप्पणियां

2.1 प्रस्तावना

संघ सरकार के वित्त लेखे (सं. स. वि. ले.) में 16 विवरणी होती हैं जो पूरे वर्ष के लिए संघ की प्राप्तियों और संवितरणों, राजस्व और पूंजी खातों द्वारा प्रकट वित्तीय परिणामों और सार्वजनिक ऋण, देनदारियों और परिसंपत्तियों की लेखा प्रस्तुत करते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत, केंद्र और राज्य सरकारों के लेखा का प्रारूप भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) की सलाह पर निर्धारित किया जाता है। यह कार्य लेखा महानियंत्रक (सी जी ए) द्वारा किया जाता है, जो सरकारी लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों और लेखा के रूप को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। सी जी ए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लेखा अधिकारियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर सं. स. वि. ले. तैयार करता है। मंत्रालयों/विभागों के सचिव अपने संबंधित मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी (सी ए ए) होते हैं। वे संबंधित मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकारों (एफ ए) और मुख्य लेखा नियंत्रकों (सी सी ए) की सहायता से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं।

इस अध्याय में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को शामिल किया गया है जो सटीकता, पूर्णता और पारदर्शिता के संदर्भ में सं. स. वि. ले. में वित्तीय जानकारी की प्रस्तुति में मुद्दों और कमियों को उजागर करती हैं। जैसा कि 2018-19 के लिए संघ लेखे पर प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि इनमें से कई कमियां पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से उजागर होने के बावजूद बनी हुई हैं। यह लेखा अधिकारियों की ओर से प्रभावी उपचारात्मक उपायों की कमी का संकेत है।

2.2 पारदर्शिता और प्रकटीकरण के मामले

2.2.1 लघु शीर्ष 800 का अविवेकी उपयोग

'अन्य प्राप्तियों'/अन्य व्यय' नाम के साथ लघु शीर्ष 800 का उपयोग मुख्य शीर्ष प्राप्ति और व्यय के तहत किया जाता है जो लेन-देन के लिए नियमित नहीं हैं और/या जो किसी विशिष्ट लघु शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध नहीं किया जा सकता है। लघु शीर्ष

800 के बार-बार उपयोग से खातों में अपारदर्शिता होती है और इसलिए इसे कम करने की आवश्यकता है।

सी ए जी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्ष दर वर्ष केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा लघु शीर्ष 800 के निरंतर उपयोग की ओर इशारा किया गया है। इन प्रतिवेदनों ने वित्तीय रिपोर्टिंग को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकारी खातों की संरचना की व्यापक समीक्षा का भी सुझाव दिया है। फिर भी संघ सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय और प्राप्तियों का निरंतर लेखा-जोखा करना पड़ा।

2.2.1.1 लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत दर्ज

वित्त वर्ष 20 के दौरान कुल ₹39,838 करोड़ का व्यय 'लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय' कई मुख्य शीर्षों के तहत दर्ज किया गया था। छह मंत्रालयों/विभागों के 11 मुख्य शीर्षों के मामले में ₹19,153 करोड़ का व्यय, जो इन शीर्षों के अंतर्गत दर्ज कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक था, लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत लेखांकित किया गया था। इनमें मुख्य शीर्ष 5275-अन्य संचार सेवाओं के तहत रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क पर व्यय (₹9,410 करोड़) और मुख्य शीर्ष 2701-मध्यम सिंचाई के तहत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (₹1,999.30 करोड़) शामिल था।

इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में, महत्वपूर्ण व्यय (यद्यपि संबंधित मुख्य शीर्ष के तहत कुल व्यय के 50 प्रतिशत से कम) को लघु शीर्ष 800 के तहत दर्ज किया गया था। इनमें मुख्य शीर्ष 2210 के तहत चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय (₹3,226 करोड़), मुख्य शीर्ष 2401 के तहत फसल खेती पर व्यय ₹2,608 करोड़ तथा मुख्य शीर्ष 2076 के तहत रक्षा सेवा-सेना पर व्यय (₹2,530 करोड़) शामिल था।

कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक व्यय की महत्वपूर्ण दर्ज लघु शीर्ष 800 के तहत, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत कई वर्षों से जारी है: मुख्य शीर्ष 5275 के तहत अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय; मुख्य शीर्ष 2711 के तहत बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी; मुख्य शीर्ष 4853 के तहत अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और मुख्य शीर्ष 4402 के तहत मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।

2.2.1.2 लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुकिंग

वित्त वर्ष 20 के दौरान ₹16,892 करोड़ की प्राप्ति लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत दर्ज की गई थी। 13 मंत्रालयों/ विभागों में, 18 मुख्य शीर्षों से संबंधित प्राप्तियां जो कि ₹2,921 करोड़ थी और इन शीर्षों के तहत दर्ज कुल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक थी, इस लघु शीर्ष के तहत दर्ज की गई थी। इन शीर्षों में 'रक्षा सेवाएं-नौसेना', 'खाद्य संग्रहण व भंडारण', 'श्रम और रोजगार', 'रक्षा सेवा अनुसंधान और विकास', 'शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति' आदि शामिल हैं।

निम्नलिखित मामलों में महत्वपूर्ण प्राप्तियां (यद्यपि कुल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से कम) को लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

- कर प्राप्तियों/गैर-कर प्राप्तियों जिसमें ब्याज प्राप्तियां (₹2,045 करोड़), सीमा शुल्क प्राप्तियां (₹1,245 करोड़), पुलिस प्राप्तियां (₹1,145 करोड़) और रक्षा सेवा प्राप्तियां-सेना (₹897 करोड़) शामिल हैं।
- विविध पूंजीगत प्राप्तियों के तहत, एस यू यू टी आई आदि की प्राप्ति (₹2,070 करोड़)।

इसके अलावा, कर प्राप्तियों के तहत ₹1,720 करोड़ को लघु शीर्ष 800 के तहत दर्ज किया गया था, जबकि संबंधित लघु शीर्ष उपलब्ध थे। साथ ही, ₹1,442 करोड़ की गैर-कर राजस्व की राशि को लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियों के तहत कर राजस्व के रूप में दर्ज किया गया था।

सही लघु शीर्षों की उपलब्धता के बावजूद लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत इस प्रकार की गलत बुकिंग ने शुद्ध आय की गणना और राज्यों के आवंटन को प्रभावित किया।

जैसा कि व्यय के मामले में पाया गया है, 12 मुख्य शीर्षों/कार्यों¹⁸ के मामले में भी कुल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक की बुकिंग 800 - अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से जारी है।

¹⁸ 0030-मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क, 0077-रक्षा सेवाएँ-नौसेना, 0080-रक्षा सेवाएँ-अनुसंधान और विकास, 0230-श्रम और रोजगार, 0235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 0408-खाद्य संग्रहण व भंडारण, 0425-सहकारिता, 0701-मध्यम सिंचाई, 0702-लघु सिंचाई, 1055-सड़क परिवहन, 1056-अंतर्देशीय जल परिवहन और 1456-नागरिक आपूर्ति।

लेखाओं में पारदर्शिता के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि लेखा महानियंत्रक (सी जी ए) लघु शीर्ष 800 के तहत प्राप्तियों और व्यय के लगातार दर्ज के मामलों की समीक्षा करें और सी ए जी की सलाह पर, नए लघु शीर्षों के संचालन को निर्धारित और सुनिश्चित करें। सी जी ए को सभी लेखा प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करना चाहिए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व को लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत गलत वर्गीकृत करने के बजाय सही लघु शीर्षों में दर्ज किया जाए।

2.2.2 सं. स. वि. ले में फुटनोट के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी का आकृतिण

2.2.2.1 सार्वजनिक देयताएं

वित्त वर्ष 20 के लिए सं. स. वि. ले. की विवरणी 2 "ऋण स्थिति का सारांश" के अनुसार 31 मार्च 2020 को "लघु बचत और भविष्य निधि" के तहत कुल ₹5,74,880 करोड़ की देनदारियां थी। केंद्र सरकार की अन्य देनदारियों में एन एस एस एफ का ₹8,06,984 करोड़ का निवेश सहित एन एस एस एफ का ₹1,09,462 करोड़ का संचित घाटा और डाकघर बीमा कोष से संबंधित ₹82,963 करोड़ का निवेश फुटनोट के माध्यम से प्रदान किया गया था। इस प्रकार ₹9,99,409 करोड़ के लोक लेखा देयताओं को एक फुटनोट के माध्यम से दर्शाने से और वह भी विवरणी के मुख्य भाग के हिस्से के रूप में या किसी भी स्थान पर समेकित तस्वीर के आकृतिण के रूप में नहीं, केंद्र सरकार की लोक लेखा देयताओं की उपयुक्त तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है।

2.2.2.2 बाह्य ऋण

वित्त वर्ष 20 के लिए सं. स. वि. ले. की विवरणी 2 और 14 के अनुसार, विनिमय की ऐतिहासिक दर पर केंद्र सरकार का बाह्य ऋण (₹2,99,250 करोड़) था, जो वर्तमान विनिमय दर (31 मार्च 2020 की दर) पर परिवर्तित रूप में (₹5,44,394 करोड़) था, जिसे फुटनोट के माध्यम से दर्शाया गया था।

यह देखा गया कि वर्तमान दर की राशि ऐतिहासिक दर की राशि से ₹2,45,144 करोड़ अधिक था। केवल फुटनोट के माध्यम से बाह्य ऋण के प्रकटीकरण ने लेखाओं की पारदर्शिता को प्रभावित किया और इसे एफ आर बी एम अधिनियम 2003 के आलोक में भी देखा जा सकता है जिसमें संघ सरकार के ऋण की परिभाषा में वर्तमान विनिमय दरों पर मूल्यांकित बाह्य ऋण शामिल है।


2.2.2.3 मूल राजकोषीय संख्या

विवरणी 1 सं. स. वि. ले. के लेन-देन का सारांश स्पष्ट रूप से राजस्व घाटा और वित्तीय घाटा जैसे प्रमुख राजकोषीय आंकड़े नहीं देता है। इसके बजाय, राजस्व घाटे का आंकड़ा स्पष्ट रूप से एक फुटनोट के माध्यम से व्यक्त किया गया था जिसमें राजस्व खाते पर व्यय की राशि को राजस्व खाते पर प्राप्तियों से अधिक दर्शाया गया था। इसके निहितार्थ इस प्रतिवेदन की तालिका 1.1 में वित्त वर्ष 20 के लिए लाए गए सं. स. वि. ले. से प्राप्त एक नज़र में बजट में राजकोषीय संकेतकों और वित्तीय संकेतकों के आकृतिण में भिन्नता के संदर्भ में है।

2.2.2.4 अन्य फुटनोट

सं. स. वि. ले. के 16 विवरणों में लेन-देन के आंकड़ों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी का खुलासा करने और प्रारम्भिक शेष व अंतिम शेष और उसमें किए गए परिवर्तनों को दर्शाने के लिए कुल 254 फुटनोट शामिल किए गए थे।

आकृति 2.1: सं. स. वि. ले. में सम्मिलित फुटनोटों का वर्गीकरण



ये फुटनोट, हालांकि महत्वपूर्ण लेन-देन से संबंधित थे, संक्षिप्त और छिपे हुए थे और कुछ मामलों में इन्हें बिना समाधान के साल-दर-साल दोहराया जा रहा था। वैसे फुटनोट - जांच के तहत प्रतिकूल शेष, मिलान के तहत शेष, सूचना प्रतीक्षित की जांच तहत ऋणात्मक दर्ज, पूर्व अवधि समायोजन, वित्तीय समायोजन के बिना स्थानान्तरण,

ऋणात्मक प्रविष्टियों के लिए स्पष्टीकरण, अन्य व्यय और प्राप्तियों के लिए स्पष्टीकरण तथा विनिवेश और निवेश पर जानकारी - से संबंधित थे। जांच के तहत लगातार प्रतिकूल/ऋणात्मक शेष के उदाहरण 8445.00.800 रेलवे जमा-अन्य जमा (₹3,273 करोड़ डेबिट) जिसका अर्थ है कि धन की अनुपलब्धता के बावजूद निकासी, और 8551.00.101 रक्षा अग्रिम (₹2,279 करोड़ क्रेडिट) जिसका अर्थ है कि स्वीकृत अग्रिमों के बजाय अग्रिमों की अधिक प्राप्ति फुटनोट के रूप में दिखाए गए थे। अन्य उदाहरणों में शामिल हैं - रेलवे पेंशन निधि में प्रतिकूल शेष की व्याख्या-वाणिज्यिक लाइनें (₹33,289 करोड़ डेबिट), पूंजी पुनर्गठन को अंतिम रूप देने के कारण समावेशन का विवरण (₹1,182 करोड़), और सेक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में किए गए निवेश में से शेयरों की वापस खरीद के कारण बहिष्करण (₹195 करोड़)।

इसके अलावा, इन फुटनोट्स में विसंगतियों को दूर करने के लिए किये गये समायोजन और कार्रवाई की पूर्ण प्रकृति और निहितार्थ का खुलासा नहीं किया गया था।

यह अनुशंसा की जाती है कि सी जी ए सं. वि. ले. के हिस्से के रूप में "लेखा के लिए नोट्स" अनुभाग या समकक्ष समेकित प्रकटीकरण प्रारूप की शुरुआत पर विचार करें जो अतिरिक्त जानकारी (व्यक्तिगत विवरणों में दर्शाए गए से परे) को सक्षम करेगा जिसे पठनीयता और पारदर्शिता में सहायता के लिए एक समेकित रूप प्रदान किया जाना है।

2.2.3 पावर सिस्टम डेवलपमेंट निधि (पी एस डी एफ) के लेन-देन में नेटिंग

मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अनुच्छेद 3.4 में, अन्य बातों के साथ-साथ, कहा गया है कि आरक्षित निधि/जमा खातों से वित्तपोषित राशि को लघु शीर्ष 'कटौती-से प्राप्त राशि (अलग कोड '902' आदि के साथ आरक्षित निधि/जमा खाते का नाम) को राजस्व, पूंजी या ऋण अनुभाग में कार्यात्मक मुख्य/उप-मुख्य शीर्ष के तहत दर्शाया जाएगा, जहां वास्तविक व्यय के तहत डेबिट किया जाता है।

ऊर्जा मंत्रालय के समेकित/वर्गीकृत सार से पता चलता है कि ₹555.32 करोड़ की राशि लेखा शीर्ष 2801.05.797 से पी एस डी एफ को हस्तांतरित की गई थी। इसके अलावा, शीर्ष 2801.05.106 के तहत ₹555.32 करोड़ की राशि के व्यय का प्रावधान किया गया था और उसी शीर्ष का उपयोग कटौती प्रविष्टि करने के लिए किया गया था।

नतीजतन, कार्यात्मक शीर्ष 2801.05.106 के तहत लेन-देन का शुद्ध प्रभाव शून्य था। इसलिए सं. स. वि. ले. की विवरणी 9 में शीर्ष 2801.05.106 के तहत ₹555.32 करोड़ और (-) ₹555.32 करोड़ के नेटिंग की वजह से कोई लेन-देन शामिल नहीं था।

सी जी ए ने अपने उत्तर (दिसंबर 2020) में कहा कि लेखांकन लेन-देन 2801.05.106 के तहत लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार किए जाते हैं। हालांकि, उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लघु शीर्ष 2801.05.106 के तहत विवरणी 9 में कोई लेन-देन दर्शाया नहीं जा सका। यह पारदर्शिता से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

2.3 लेखों की यथार्थता से सम्बंधित मामले

अंतिम वर्गीकरण और निकासी की प्रतीक्षा में उंचंत और विविध शीर्षों के तहत महत्वपूर्ण शेष राशि, और ऋण, जमा और प्रेषण शीर्षों के तहत प्रतिकूल शेष राशि से वार्षिक केंद्रीय वित्त लेखों की सटीकता प्रभावित होती है।

2.3.1 लेखों के उंचंत व विविध शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

सरकारी खातों में उंचंत शीर्षों का संचालन उन लेन-देनों को दर्शाने के लिए किया जाता है जिन्हें उनकी प्रकृति के बारे में जानकारी की कमी के कारण खाते के अंतिम शीर्ष पर दर्ज नहीं किया जा सकता है। खातों के इन शीर्षों को अंततः ऋण डेबिट या ऋण क्रेडिट द्वारा समाशोधित किया जाता है, जब उनके अंतर्गत राशि उनके संबंधित खातों के अंतिम शीर्षों में दर्ज की जाती है। यदि इन राशियों का समायोजन नहीं किया जाता है, तो उंचंत शीर्षों के अंतर्गत शेष जमा हो जाते हैं और लेखे सरकारी प्राप्तियों और व्यय की गलत तस्वीर पेश करते हैं।

उंचंत शेष के लिए लघु शीर्ष वार लेखों का रख रखाव प्रधान लेखा कार्यालय (प्रि ए ओ) द्वारा किया जाता है और उप/विस्तृत शीर्ष वार लेखों का वेतन और लेखा कार्यालय (पी ए ओ) द्वारा किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक को उंचंत शेष राशि की समीक्षा करने और निगरानी उद्देश्यों के लिए महालेखा नियंत्रक (सी जी ए) को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, सी जी ए उंचंत लघु शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का वर्ष-वार विवरण नहीं रखता है, जिससे ऐसे शेषों की निकासी की निगरानी में बाधा उत्पन्न होती है।

उंचंत और विविध शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि की लेखापरीक्षा संवीक्षा पाँच प्रधान लेखा कार्यालयों अर्थात् केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सी पी ए ओ), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(सी बी डी टी), केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी बी ई सी), नियंत्रक, 'सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा' (सी ए ए ए) और उच्च शिक्षा, और रक्षा मंत्रालय में की गई थी। संवीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियों पर निम्नलिखित उपखंडों में चर्चा की गयी है।

2.3.1.1 उचंत शेषों की नेटिंग

सं. स. वि. ले. की विवरणी 13, सिविल मंत्रालयों, डाक, दूरसंचार, रक्षा और रेलवे से संबंधित उचंत शीर्षों के तहत शेष राशि देती है। 31 मार्च 2020 तक उचंत शीर्षों के तहत कुल शुद्ध शेष ₹71,745 करोड़ (डेबिट) था। इस शेष में सिविल के अंतर्गत ₹28,758 करोड़ (डेबिट), रक्षा मंत्रालय/विभागों के अंतर्गत ₹24,372 करोड़ (डेबिट), रेलवे के अंतर्गत ₹14,474 करोड़ (डेबिट) और डाक विभाग के लिए ₹4,141 करोड़ शामिल हैं।

जैसा कि अनुच्छेद 2.3.1 में उल्लेख किया गया है, प्राप्तियां और भुगतान जिन्हें आवश्यक जानकारी/विवरणों के अभाव में खाते के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है, उन्हें उचंत शीर्षों के तहत क्रमशः क्रेडिट और डेबिट के रूप में हिसाब में लिया जाता है। वांछित विवरण उपलब्ध होने के बाद क्रेडिट और डेबिट माइनस क्रेडिट या माइनस डेबिट द्वारा समाशोधन किए जाते हैं। इस प्रकार, प्रत्येक उचंत शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि की एक सटीक तस्वीर देने के लिए क्रेडिट और डेबिट मदों का हिसाब रखना और खातों में अलग-अलग दिखाना आवश्यक है। सं. स. वि. ले. की विवरणी 13 हालांकि, क्रेडिट और डेबिट शेषों के नेटिंग के बाद उचंत शीर्षों के तहत शेष राशि को दर्शाता है जिसके कारण मुख्य और लघु शीर्ष दोनों स्तरों पर उचंत शेष को कम बताया गया।

सिविल मंत्रालयों के उचंत शेषों के विश्लेषण से पता चला कि नेटिंग के कारण, शेष राशि को पी ए ओ उचंत के तहत 8.3 प्रतिशत, उचंत खाता (सिविल) के तहत 70.2 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (पी एस बी) उचंत के तहत 35.5 प्रतिशत कम बताया गया था।

तालिका 2.1: सिविल मंत्रालयों के उचंत शेष

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	पी ए ओ उचंत खाता		उचंत खाता (सिविल)		पी एस बी उचंत खाता	
	शुद्ध उचंत	वास्तविक उचंत	शुद्ध उचंत	वास्तविक उचंत	शुद्ध उचंत	वास्तविक उचंत
वित्त वर्ष 18	313.35 डे.	2,144.03 डे. 1,830.68 क्रे.	1,952.44 क्रे.	1,155.37 डे. 3,107.81 क्रे.	12,592.92 डे.	13,801.89 डे. 1,208.97 क्रे.
वित्त वर्ष 19	1,937.51 डे.	2,650.67 डे. 713.16 क्रे.	737.71 डे.	1,140.57 डे. 402.86 क्रे.	13,692.04 डे.	15,978.79 डे. 2,286.75 क्रे.
वित्त वर्ष 20	10,620.42 डे.	11,098.27 डे. 477.85 क्रे.	541.41 डे.	1,179.60 डे. 638.19 क्रे.	13,268.43 डे.	16,914.60 डे. 3,646.17 क्रे.

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि व्यय विभाग में वित्त वर्ष 19 के अंत में उचंत खाता (सिविल) के अंतर्गत ₹0.49 लाख, पी एस बी उचंत ₹40.90 लाख और अन्य नामांकित बैंक उचंत ₹9.36 लाख के तहत ऋणात्मक जमा शेष को वित्त वर्ष 20 की शुरुआत में डेबिट शेष के रूप में दर्शाया गया था। ऋणात्मक क्रेडिट को डेबिट बैलेंस के रूप में मानना, उचंत बैलेंस का समाशोधन नहीं बल्कि उचंत के संचय का प्रतिनिधित्व करता है। क्रेडिट और डेबिट उचंत का अलग-अलग हिसाब रखा जाना था, लेकिन माइनस क्रेडिट को डेबिट बैलेंस के रूप में मानते हुए इन बैलेंस को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया।

सी जी ए ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2020) में कहा कि खातों के विभागीकरण से पहले प्रचलित प्रथा के अनुसार वित्त लेखा की विवरणी 13 में उचंत शेष परिलक्षित होते हैं। दूसरे, इस स्तर पर विभिन्न उचंत शीर्षों के तहत वर्षों पुराने निवल शेष को डेबिट और क्रेडिट शेष में अलग-अलग करना संभव नहीं है।

हालांकि, जैसा कि अनुच्छेद 2.1 में उल्लेख किया गया है, सी जी ए खातों का प्रारूप तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। चूंकि खातों का विभागीकरण कुछ दशक पहले हुआ था, सी जी ए को लेखा प्रस्तुतिकरण में अभी तक आवश्यक परिवर्तन/सुधार करना चाहिए था।

यह अनुशंसा की जाती है कि सी जी ए पिछले दस वर्षों में शुद्ध उचंत शेष में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में किए गए जोड़ को अलग-अलग करके प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

2.3.1.2 पी एस बी उचंत में शेष राशि का संचय

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पी एस बी) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। जब सरकारी विभागों को पी एस बी को दिए गए निर्देशों के खिलाफ किए गए भुगतान का विवरण प्राप्त होता है, तो लेन-देन को शुरू में पी एस बी उचंत के खिलाफ क्रेडिट एंट्री के रूप में दर्ज किया जाता है। जब आर बी आई सरकारी खाते से राशि डेबिट करता है, पी एस बी उचंत का यह क्रेडिट रिजर्व बैंक डिपॉजिट्स (आर बी डी) हेड में कॉन्ट्रा क्रेडिट द्वारा क्लियर किया जाता है। इसी प्रकार संबंधित सरकारी विभाग पी एस बी द्वारा प्राप्तियों की सूचना प्राप्त करने के बाद, पी एस बी उचंत को डेबिट कर देता है। जब आर बी आई सरकारी खाते में राशि जमा करता है तो पी एस बी उचंत के इस डेबिट को आर बी डी हेड में कॉन्ट्रा डेबिट द्वारा क्लियर किया जाता है। पी एस बी उचंत को समय पर समाप्त करने में विफलता का परिणाम सरकारी खातों में आर बी आई के पास अपने नकद शेष का गलत आकृतिण होता है।

अ) पी एस बी उचंत-सिविल

संवीक्षा से पता चला कि पी एस बी उचंत शेष का प्रमुख संचय केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सी पी ए ओ) और उच्च शिक्षा विभाग में था।

तालिका 2.2: पी एस बी उचंत शेष (डेबिट) का संचय

(अंत शेष ₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 18	वित्त वर्ष 19	वित्त वर्ष 20
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय	7,083.04	9,745.49	10,452.33
उच्च शिक्षा विभाग	1,588.70	913.39	1,144.45

इसके अलावा, वित्त वर्ष 20 में पी एस बी उचंत शेष के जोड़ और निकासी के विश्लेषण से सी पी ए ओ और उच्च शिक्षा विभाग दोनों द्वारा पी एस बी उचंत शेष को समाशोधन के लिए अपर्याप्त प्रयासों का पता चला, जैसा कि तालिका 2.3 में दिखाया गया है।

तालिका 2.3: पी एस बी उचंत शेष (डेबिट) का जोड़ और निकासी - वित्त वर्ष 20


(₹ करोड़ में)

	प्रारंभिक	जोड़	निकासी	समापन
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय	9,745.49	746.19	39.35	10,452.33
उच्च शिक्षा विभाग	913.38	255.53	24.45	1,144.45

इसके अलावा, सी पी ए ओ के मामले में, पी एस बी उचंत के तहत शेष ऋणात्मक थे, जो मुख्य शीर्ष 2071 के तहत पेंशन व्यय के रूप में अंतिम दर्ज द्वारा मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 20 के दौरान पी एस बी उचंत के तहत शेष राशि का विवरण आकृति 2.2 में दिखाया गया था।

आकृति 2.2: सीपीएओ में पी एस बी उचंत शेष (डेबिट) की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



जैसा कि आकृति 2.2 में दिखाया गया है, वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 20 तक पी एस बी उचंत शेष लगभग तीन गुना बढ़ गया। उचंत के तहत इस बकाया राशि पर पेंशन व्यय, राजस्व घाटा और केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को उचंत के तहत रखी गई राशि से कम करने का प्रभाव था।

सी पी ए ओ ने अपने उत्तर (नवंबर 2020) में कहा कि इन बकाया राशियों का कारण आर बी आई के बयानों से प्राप्त विवरण और बैंकों से प्राप्त ई-स्कॉल की दर्ज में समय का अंतराल है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पिछले वर्षों की शेष राशि की निकासी के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

ब) पी एस बी उचंत-रक्षा

रक्षा मंत्रालय (र मं) से संबंधित पी एस बी उचंत ने 2019-20 के लिए ₹17,913.17 करोड़ (डेबिट) का अंतिम शेष दिखाया, जो प्रारंभिक शेष से ₹3,453.23 करोड़ कम है। रक्षा लेखा महानियंत्रक (सी जी डी ए) द्वारा सी जी ए को प्रस्तुत किए गए खाते केवल शुद्ध स्थिति दर्शाते हैं और डेबिट और क्रेडिट शेष के बीच ब्रेक-अप नहीं देते, जिससे खाते अपारदर्शी हो जाते हैं। फिर भी, लेखापरीक्षा ने पाया कि शुद्ध उचंत वित्त

वर्ष 16 के अंत में ₹125.47 (क्रेडिट/क्रे.) करोड़ से बढ़कर ₹17,913.17 (डेबिट/डे.) करोड़ के वर्तमान आंकड़े तक पहुंच गया था, जैसा कि तालिका 2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: पी एस बी उचंत-रक्षा के अंतर्गत बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान संवितरण	अंतिम शेष
वित्त वर्ष 16	125.47 क्रे.	-	1,979.77	1,854.30 डे.
वित्त वर्ष 17	1,854.30 डे.	-	7,130.47	8,984.78 डे.
वित्त वर्ष 18	8,984.78 डे.	-	5,861.64	14,846.43 डे.
वित्त वर्ष 19	14,846.43 डे.	-	6,519.97	21,366.40 डे.
वित्त वर्ष 20	21,366.40 डे.	3,453.22	-	17,913.17 डे.

रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा पेंशन के लेखांकन की लेखापरीक्षा से पता चला कि पी एस बी उचंत शेष के संचय का एक प्रमुख कारण रक्षा मंत्रालय की पुस्तकों में पेंशन लेन-देन की गैर निकासी थी। वित्त वर्ष 16 से शुरू होने वाले पेंशन स्कॉल को समाशोधन न करने की प्रथा वित्त वर्ष 20 तक जारी रही और सी ए जी की 2020 की प्रतिवेदन संख्या 4 [अनुच्छेद 2.3.2.1 (बी)] में इसकी सूचना दी गई थी।

मंत्रालय ने (सितंबर 2020) में कहा कि वित्त वर्ष 20 के दौरान शेष राशि का भुगतान रक्षा पेंशन के लिए अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण नहीं किया गया था। बाद में वित्त वर्ष 21 के दौरान इन स्कॉल के दर्ज किए जाने की भी सूचना मिली थी।

इस प्रकार, बुनियादी लेखा प्रक्रिया के उल्लंघन में, और राजस्व व्यय को कम करने के व्यक्त उद्देश्य के लिए, रक्षा पेंशन व्यय राशि ₹17,913.17 करोड़ को पी एस बी उचंत में रखा गया था।

2.3.1.3 विदेश में क्रयों के लिए उचंत खाते

नियंत्रक, 'सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा' (सी ए ए ए), वित्त मंत्रालय की पुस्तकों में लघु शीर्ष 'विदेश में खरीद के लिए उचंत खाते' संचालित होता है। सरकार दाताओं को सलाह देती है कि वे भारत में परियोजना प्राधिकरणों/आयातकों¹⁹ को की गई आपूर्तियों के विरुद्ध विदेशों में आपूर्तिकर्ताओं को सीधे भुगतान करें। संबंधित मंत्रालयों/आयातकों से भुगतान प्राप्त होने तक समान राशि को उचंत शीर्ष के अंतर्गत रखा जाता है। इस

¹⁹ परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां, जैसे सीपीएसयू, राज्य पीएसयू, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आदि।

शीर्ष के अंतर्गत डेबिट शेष, आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों से बकाया वसूली को इंगित करता है, भले ही सरकार ने इन आयातों के लिए पहले ही भुगतान कर दिया हो।

31 मार्च 2020 तक, ₹3,812.05 करोड़ (डेबिट) की राशि उचंत में पड़ी थी, जिसमें से ₹75.82 करोड़ पांच साल से अधिक पुरानी वस्तुओं से संबंधित थे। इस मुद्दे को वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीय लेखा पर सी ए जी के प्रतिवेदन में भी उजागर किया गया था, लेकिन इसका समाधान नहीं किया गया है। उचंत मदों का निरंतर अस्तित्व सं. स. वि. ले. की विवरणी 14 में बाह्य ऋण की प्रस्तुति को प्रभावित करता है।

2.3.1.4 'चेक और बिल' शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष

शीर्ष 'चेक और बिल' सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा पी एस बी को जारी किए गए भुगतान निर्देशों (चेक आदि के माध्यम से) और इस तरह के भुगतान वास्तव में किस हद तक किए गए हैं और सही तरीके से दर्ज किए गए हैं, के बीच अंतर को दर्शाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत असमायोजित शेषों का निरंतर अस्तित्व सरकार के खातों में दर्शाए अनुसार नकद शेषों को विकृत कर सकता है।

वित्त वर्ष 20 में ₹67,007 करोड़ की राशि के चेक और बिल बकाया थे, जो ₹24,903 करोड़ (59.15 प्रतिशत) की सालाना वृद्धि दर्शाते हैं, जैसा कि तालिका 2.5 में दिखाया गया है।

तालिका 2.5: 'चेक और बिल' के अंतर्गत प्रमुख बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

शब्दावली	वित्त वर्ष 2020	वित्त वर्ष 2019	वित्त वर्ष 2018
कुल चेक और बिल	67,006.70	42,103.97	34,947.68
पोस्टल चेक	37,481.94 के.	27,272.54 के.	21,078.94 के.
रेलवे चेक	17,964.12 के.	1,524.7 के.	2,661.56 के.
वेतन और लेखा कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक सलाह	3,465.13 के.	4,208.28 के.	4,316.27 के.
इलेक्ट्रॉनिक सलाह	2,652.99 के.	1,010.84 के.	670.82 के.
वेतन और लेखा कार्यालय चेक	2,332.52 के.	3,477.53 के.	2,083.06 के.
विभागीय चेक	1,709.71 के.	3254 के.	3,153.96 के.
दूरसंचार लेखा कार्यालय चेक	852.41 के.	862.37 के.	868.65 के.
अन्य चेक	547.88 के./डे.	493.71 के./डे.	114.42 के.

इस प्रकार, डाक चेक (₹10,209.4 करोड़ के., 37.43 प्रतिशत) और रेलवे चेक (₹16,439.42 करोड़ के.) के मामले में 'चेक और बिल' के तहत बकाया राशि में भारी वृद्धि हुई थी। दूसरी ओर, पी ए ओ इलेक्ट्रॉनिक सलाह, पी ए ओ चेक और विभागीय चेक के तहत शेष राशि में गिरावट का रुझान दिखा है।

शीर्ष 'चेक और बिल' के तहत स्थायी शेष के अस्तित्व ने केंद्र सरकार के खाता (प्राप्तियां और भुगतान) नियम, 1983 का उल्लंघन किया, जो यह निर्धारित करता है कि अगर चेक और बिल जारी होने के छह महीने से अधिक बकाया हैं, और नवीनीकृत नहीं किया गया है तो रद्द किए जाने हैं और उनकी राशि खातों में वापस की जानी है। लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-जांच ने दर्शाया कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा जारी किए गए चेकों की एक बड़ी संख्या भुगतान के लिए समयबद्ध थी और खातों में वापस लिखी जा सकती थी।

मुख्य शीर्ष की प्रकृति और नामकरण के अनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि जमा रहनी चाहिए। हालांकि, तीन छोटे शीर्षों - विभागीय (चेक आहरण डी डी ओ) इलेक्ट्रॉनिक सलाह, रक्षा चेक और ट्रेजरी चेक के तहत ₹340 करोड़ के डेबिट/प्रतिकूल शेष थे। यह वित्त वर्ष 17 की तुलना में गिरावट है जब प्रतिकूल संतुलन का एक भी उदाहरण नहीं था।

सी जी ए ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2020) कि मुख्य शीर्ष 8670-चेक और बिल के विभिन्न लघु शीर्षों के तहत प्रतिकूल शेष के मामले हर साल संबंधित मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रकों को इंगित किए जाते हैं। हालांकि, कुछ शीर्षों के अंतर्गत लगातार बकाया शेष और वृद्धि के कारण उत्तर मान्य नहीं था।

यह अनुशंसा की जाती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कदम उठाए जाएं कि सभी लेखा प्राधिकरण इस शीर्ष के तहत शेष राशि का मिलान और निकासी करें और छह महीने से अधिक समय से बकाया सभी सरकारी चेकों के संबंध में ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया शुरू करें ताकि सरकारी नकद शेष को सही ढंग से दर्शाया जा सके।

2.3.2 जर्नल प्रविष्टि के माध्यम से संशोधन

सिविल लेखा नियमावली के प्रावधान 5.9.1 में कहा गया है कि प्रत्येक प्रधान लेखा कार्यालय प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में एक 'केंद्रीय लेन-देन का विवरण' (एस सी टी) तैयार करेगा, जो मार्च के पूरक सहित वर्ष के दौरान सभी लेन-देन के प्रगतिशील प्रभाव

का प्रतिनिधित्व करेगा। एस सी टी केवल अलग-अलग मुख्य शीर्षों के तहत लघु शीर्ष-वार विवरण के लिए तैयार किए जाएंगे, जिसमें प्रभारित, मतदान, योजना और गैर-योजना व्यय स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएंगे। बंद होने के बाद किसी भी महीने के वर्गीकृत या समेकित सार में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। हालांकि, एस सी टी तैयार होने और जमा करने के बाद त्रुटियों के मामलों का पता लगाया जा सकता है। यदि एक ही वर्ष में एक त्रुटि का पता चलता है और एक ही मुख्य शीर्ष के तहत एक लघु शीर्ष से दूसरे में या एक मुख्य शीर्ष से दूसरे में राशि के हस्तांतरण द्वारा सुधार शामिल है, तो जर्नल प्रविष्टियों (जे ई) के रूप में आवश्यक सुधार प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जर्नल प्रविष्टि (जे ई) का उपयोग नई पेंशन योजना (एन पी एस) से संबंधित ₹1,705 करोड़ और कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सी एस डी) से संबंधित कुल ₹3,580 करोड़ (प्राप्तियों के रूप में ₹1,897 करोड़ और व्यय के रूप में ₹1,683 करोड़) के व्यय को उचंत शीर्ष (8659.00.140) में स्थानांतरित करने के लिए किया गया था। यह जे ई के उपयोग से संबंधित प्रावधानों के अनुसार नहीं था और इसके परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियों को ₹1,897 करोड़ और राजस्व व्यय को ₹1,683 करोड़ से कम बताया गया।

रक्षा मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2021) में एन पी एस अंशदान को उचंत शीर्ष में स्थानांतरित करने के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि बाद के वर्ष में ट्रस्टी बैंक को निधि हस्तांतरित करके उचंत शीर्ष को समाप्त कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने सी एस डी प्राप्तियों और व्यय की दर्ज के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि सी एस डी डिपो कोविड-19 परिदृश्य के कारण अपने खातों को अंतिम रूप नहीं दे सके।

2.3.3 वित्त वर्ष 18 से संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को एकीकृत वास्तु एवं सेवा कर (आई जी एस टी) के अल्प हस्तांतरण का लेखा-जोखा

वित्त वर्ष 18 में वर्ष के अंत में आई जी एस टी में ₹1,76,688 करोड़ की शेष राशि थी। इसमें से, भारत सरकार ने केंद्रीय करों के हस्तांतरण के लिए वित्त आयोग के फार्मूले को अपनाने वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आई जी एस टी के तहत ₹67,998 करोड़ रुपये अस्थायी रूप से हस्तांतरित किए थे और शेष राशि को भारत

की संचित निधि में विभाजित नहीं किया गया था। सी ए जी की 2019 की प्रतिवेदन संख्या 2 (फरवरी 2019 में संसद में रखी गई) में बताया गया था कि आई जी एस टी का हस्तांतरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 269अ के प्रावधान के उल्लंघन में था। इसके बजाय आई जी एस टी को पहले केंद्र और राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के बीच आई जी एस टी अधिनियम के संदर्भ में विभाजित किया जाना चाहिए था, और आई जी एस टी के केंद्र के हिस्से से राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को हस्तांतरण किया जाना था। परिणामस्वरूप, राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को आई जी एस टी के बंटवारे के कारण कुल मिलाकर कम धनराशि प्राप्त हुई। सी ए जी की 2019 की प्रतिवेदन संख्या 11 (जुलाई 2019 में संसद में रखी गई) में इस मुद्दे को और विस्तार से बताया गया। इससे पहले, लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2019 में मसौदा अनुच्छेद के माध्यम से इस मामले को वित्त मंत्रालय को इंगित किया था। मसौदा अनुच्छेद के जवाब में, वित्त मंत्रालय ने सूचित किया था कि वित्त वर्ष 19 के दौरान, आई जी एस टी शेष को हस्तांतरित नहीं किया गया था और उपलब्ध शेष राशि को अनंतिम रूप से विभाजित किया जा रहा था, लेकिन वित्त वर्ष 18 में किए गए हस्तांतरण को सही करने के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर चुप्पी साधी थी।

वित्त वर्ष 18 के आई जी एस टी शेष को विभाजित करने का प्रस्ताव

राजस्व विभाग (डी ओ आर) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि वित्त वर्ष 18 के आई जी एस टी शेष के विभाजन/निपटान के मुद्दे पर लगातार विचार-विमर्श किया गया था, वित्त वर्ष 20 के अंत तक इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। वित्त वर्ष 18 के लिए आई जी एस टी निपटान के मुद्दे की जांच के लिए दिसंबर 2019 में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था। इसके बाद, इस मुद्दे पर सी ए जी की टिप्पणियों का हवाला देते हुए मई 2020 में, वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 18 में हस्तांतरित आई जी एस टी को उलटने और ₹1,76,688 करोड़ के शेष आई जी एस टी को विभाजित करने का प्रस्ताव दिया गया था। प्रस्ताव में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि क्या मंत्रियों के समूह से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुई था।

प्रस्ताव में आई जी एस टी में बचे ₹1,76,688 करोड़ के उपर्युक्त शेष का विभाजन 50:50 के आधार पर सी जी एस टी और एस जी एस टी के बीच शामिल था। इस

प्रकार, सभी राज्यों को एक साथ एस जी एस टी के रूप में ₹88,344 करोड़ मिलना था। इसके अतिरिक्त, ₹88,344 करोड़ रुपये के सी जी एस टी का 42 प्रतिशत, जो कि ₹37,104 करोड़ रुपये था, वित्त आयोग के फार्मूले के आधार पर राज्यों को हस्तांतरित किया जाना था। दूसरी ओर, वित्त वर्ष 18 में राज्यों को आई जी एस टी की हस्तांतरित ₹67,998 करोड़ की राशि राज्यों से वसूल की जानी थी। कुल राजकोषीय प्रभाव की गणना राज्यों को ₹57,450 करोड़ के शुद्ध व्यय के रूप में की गई थी, जैसा कि तालिका 2.6 में दिया गया है।

तालिका 2.6: वित्त वर्ष 18 के आई जी एस टी शेष को विभाजित करने का प्रस्ताव

क्रमांक	विवरण	धनराशि
1	वित्त वर्ष 18 में अविभाजित आई जी एस टी	₹1,76,688 करोड़
2	वित्त वर्ष 18 में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को हस्तांतरित आई जी एस टी की राशि	₹67,998 करोड़
3	सी जी एस टी के प्रभाजनीय	₹88,344 करोड़
4	एस जी एस टी/ यू टी जी एस टी के प्रभाजनीय	₹88,344 करोड़
5	संघ के हिस्से से राज्यों को हस्तांतरण	₹37,104 करोड़
6	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को देय कुल राशि	₹1,25,448 करोड़
7	कम - वित्त वर्ष 18 में बांटी गयी आई जी एस टी का प्रत्यावर्तन	₹67,998 करोड़
8	राज्यों को शुद्ध निर्गम राशि	₹57,450 करोड़

वित्त वर्ष 18 में भुगतान किए गए जी एस टी मुआवजे के निहितार्थ

केंद्र सरकार के उपर्युक्त प्रस्ताव में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यदि शेष आई जी एस टी (प्रत्यावर्तन के बाद) सी जी एस टी और एस जी एस टी के बीच विभाजित किया गया तो, वित्त वर्ष 18 के लिए राज्यों के कुल एस जी एस टी में वृद्धि होगी और इसलिए, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पहले से भुगतान किए गए मुआवजे की वापसी की आवश्यकता के कारण देय मुआवजे में कमी होगी। इस प्रकार, वित्त वर्ष 18 में भुगतान किए गए जी एस टी मुआवजे में से ₹46,169 करोड़ की राशि को अतिरिक्त माना गया।

शामिल लेन-देन का लेखांकन

लेखांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित लेन-देन शामिल थे:

- क) आई जी एस टी शेष का एस जी एस टी और सी जी एस टी में अंतरण/विभाजन

- ख) आई जी एस टी से सी जी एस टी में हस्तांतरित अतिरिक्त राशि से राज्यों को हस्तांतरण
- ग) वित्त वर्ष 18 में राज्यों को हस्तांतरित आई जी एस टी का प्रत्यावर्तन
- घ) वित्त वर्ष 18 में राज्यों को भुगतान किए गए अतिरिक्त जी एस टी मुआवजे का समायोजन

उपरोक्त लेन-देन के बदले, हस्तांतरित आई जी एस टी के प्रत्यावर्तन और शेष आई जी एस टी के विभाजन, आई जी एस टी के आंशिक पुस्तक समायोजन²⁰ और केंद्र और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मुआवजे के लिए के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया, जिससे जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में ₹33,412 करोड़ जमा किए गए। मुख्य शीर्ष 8235.00.143 के तहत निधि में प्राप्त के समान राशि जमा करते समय, जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में स्थानांतरण के कारण व्यय के रूप में, वित्त वर्ष 20 के भीतर उपरोक्त समायोजन को प्रभावी करने के लिए 16 जून 2020 को एक जर्नल प्रविष्टि (जे ई) जारी की गई, जिसमें शीर्ष 3601.08.797 (₹31,697 करोड़) और 3602.08.797 (₹1,715 करोड़) के तहत ₹33,412 करोड़ डेबिट किया गया था।

कुछ राज्यों को आई जी एस टी अधिनियम के आधार पर विभाजन के बजाय वित्त आयोग के फार्मूले के आधार पर न्यायगत आई जी एस टी के वितरण के कारण देय राशि से अधिक प्राप्त हुआ था। इसलिए वित्त वर्ष 20 के दौरान वित्त वर्ष 18 के आई जी एस टी शेष का समायोजन ऐसे राज्यों से नकद वसूली से बचने के लिए केवल ₹33,412 करोड़ रुपये तक सीमित था।

समायोजन की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:

- क) हालांकि वित्त वर्ष 18 से संबंधित आई जी एस टी शेष के निपटान का यह मुद्दा लंबे समय से जारी था, समायोजन करने का प्रस्ताव मई 2020 में ही लिया गया था। परिणामस्वरूप, उपर्युक्त समायोजन वित्त वर्ष 21 में स्वीकृत किए जाने के बावजूद, एक जर्नल प्रविष्टि (जे ई) के माध्यम से वित्त वर्ष 20 के खाते में शामिल किए गए थे। चूंकि यह वित्त वर्ष 21 में किया गया एक नया खर्च था, इसे वित्त वर्ष 20 के खातों में नहीं रखा जाना चाहिए था

²⁰ वित्त वर्ष 20 के लिए यू जी एफ ए में नकद बहिर्वाह / अंतर्वाह से बचने के लिए राज्यों से वसूली के लिए समायोजन ₹33,412 करोड़ तक सीमित था ।

और इसके बजाय मौजूदा लेखांकन मानदंडों के अनुसार वित्त वर्ष 21 के खातों में इसका हिसाब लगाया जाना चाहिए था।

- ख) सिविल लेखा नियमावली का प्रावधान 16.3.4 केंद्रीय लेन-देन के विवरण (एस सी टी) में केवल सुधार करने के लिए जे ई के उपयोग की परिकल्पना करता है। तत्काल मामले में वित्त वर्ष 20 के दौरान अनुमोदित नहीं किए गए अतिरिक्त लेन-देन के लिए जे ई का उपयोग किया गया था, जो निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन है।
- ग) जे ई या सं. स. वि. ले. के संबंधित विवरणों में इन लेन-देनों द्वारा कवर किए गए विभिन्न खातों के शीर्षों को सकल रूप से दर्शाने के बजाये, समायोजन शुद्ध प्रभाव में किया गया था।
- घ) इसके अलावा, जी एस टी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2017 की धारा 7(2) के अनुसार, किसी वित्त वर्ष में किसी राज्य को जारी की गई किसी भी अतिरिक्त राशि को बाद के वित्त वर्ष में ऐसे राज्य को देय मुआवजे की राशि के बदले समायोजित किया जाएगा। हालांकि, इस मामले में वित्त वर्ष 18 के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अधिक भुगतान के रूप में गणना की गई राशि को वित्त वर्ष 21 या बाद में देय मुआवजे के बजाय उस वर्ष से संबंधित आई जी एस टी की बकाया राशि के खिलाफ समायोजित किया गया था।

राजस्व विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि ₹33,412 करोड़ की राशि जून 2020 वित्त वर्ष 18 से संबंधित आई जी एस टी शेष के विभाजन के हिस्से के रूप में भारत की समेकित निधि (सी एफ आई) से जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में अंतरित कर दी गई थी। यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और सी जी ए के परामर्श से किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेन-देन वित्त वर्ष 21 में स्वीकृत एक नया व्यय था; इसलिए, वित्त वर्ष 20 के खातों में ₹33,412 करोड़ का लेखांकन निर्धारित लेखांकन मानदंडों के अनुसार नहीं था। इसके अलावा, विभिन्न शीर्षों के लिए शुद्ध लेन-देन/समायोजन के लिए निहितार्थ/स्पष्टीकरण और भविष्य के वर्षों में समायोजन कैसे पूरा किया जाएगा, लेखांकन रिकॉर्ड और सं. स. वि. ले. में बिल्कुल भी खुलासा नहीं किया गया था।

2.3.4 31 मार्च 2020 तक जी एस टी क्षतिपूर्ति उपकर में कम अंतरण

जी एस टी क्षतिपूर्ति उपकर अधिनियम, 2017 निर्दिष्ट अवधि के लिए जी एस टी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से उपकर लगाने का प्रावधान करता है। सी ए जी की 2020 की प्रतिवेदन संख्या 4 के अनुसार वित्त वर्ष 18 और वित्त वर्ष 19 में जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में जी एस टी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह के कुल ₹47,272 करोड़ कम जमा करने की ओर इशारा किया था।

वित्त वर्ष 20 में, सं. स. वि. ले. के अनुसार ₹95,553 करोड़ के उपकर के संग्रह के जवाब में, धन अंतरण की राशि ₹1,53,910 करोड़ थी, यानी इस वर्ष के दौरान संग्रह से ₹58,357 करोड़ अधिक राशि का अंतरण किया गया। जैसा कि अनुच्छेद 2.3.3 में इंगित किया गया है, इस अधिक राशि में ₹33,412 करोड़ जर्नल प्रविष्टि (जे ई) के द्वारा जून 2020 में (वित्त वर्ष 2020 के समाप्ति के बाद) अंतरित किये गये। यह अंतरण वित्त वर्ष 18 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कम अंतरित किये गये आई जी एस टी का आंशिक समायोजन है। इस प्रकार 31 मार्च 2020 तक वर्ष 2020 के दौरान सी एफ आई में वास्तविक संग्रहण की तुलना में ₹24,945 करोड़ अधिक अंतरण किये गये जबकि सी ए जी की 2020 की प्रतिवेदन संख्या 4 में ₹47,272 करोड़ की राशि के कम अंतरण की जानकारी दी गई थी। इस प्रकार, 31 मार्च 2020 तक पिछले वर्षों में एकत्र किए गए क्षतिपूर्ति उपकर का अंतरण ₹22,327 करोड़²¹ जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में किया जाना बाकी था।

2.3.5 प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होती है जैसे (अ) जब लेन-देन को डेबिट किए जाने के बजाय गलती से क्रेडिट किया जाता है और इसके विपरीत, (ब) जब डेबिट को एक शीर्ष के तहत और संबंधित क्रेडिट को किसी अन्य शीर्ष के तहत या इसके विपरीत, और (स) जब आरक्षित निधि से बहिर्वाह/संवितरण प्राप्तियों/शेषों से

²¹ वित्त वर्ष 18 और वित्त वर्ष 19 में ₹47,272 करोड़ का कम जमा - वित्त वर्ष 20 में ₹24,945 करोड़ का अधिक अंतरण = ₹22,327 करोड़

अधिक हो। इस प्रकार ये शेष, त्रुटियों और वित्तीय नियंत्रणों की अनुपस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं और खातों की गुणवत्ता और सटीकता को प्रभावित करते हैं।

वित्त वर्ष 20 के लिए सं. स. वि. ले. ने ₹ 51,618 करोड़²² (₹9,882 करोड़ क्रेडिट और ₹41,736 करोड़ डेबिट) की राशि के प्रतिकूल शेष के 72 मामले दिखाए। इनमें से 36 मामले ₹9,217 करोड़ के (₹2,352 करोड़ क्रेडिट और ₹6,865 करोड़ डेबिट) पांच साल से अधिक समय से अनसुलझे थे, जिनमें सबसे पुराने 45 साल के थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिकूल शेष तालिका 2.7 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.7: प्रतिकूल शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रकम	इकाई/निधि	टिप्पणी
1	35,721 (डे.)	रेल मंत्रालय	ये इंगित करते हैं कि आरक्षित निधियों -रेलवे पेंशन निधि-वाणिज्यिक लाइनों और मूल्यहास आरक्षित निधि-रेलवे (वाणिज्यिक लाइनों) से संवितरण शेष राशि से अधिक थे। मूल्यहास आरक्षित निधि-रेलवे (वाणिज्यिक लाइन) के तहत शेष राशि वित्त वर्ष 10 में प्रतिकूल हो गई थी। इसके अलावा, ₹35,721 करोड़ में से ₹33,289 करोड़ रेलवे पेंशन निधि-वाणिज्यिक लाइनों से संबंधित थे। निधि से पेंशन पर व्यय की तुलना में निधि में कम विनियोग के कारण यह शेष राशि वित्त वर्ष 17 में प्रतिकूल हो गई थी। कम विनियोग रेलवे की कम राजस्व आय के कारण था।
2	4,814.04 (क्रे.)	रक्षा अग्रिम, और बैंकों/ कोषागारों में प्रेषण-रक्षा	ये शेष क्रमशः वित्त वर्ष 16 और वित्त वर्ष 20 में प्रतिकूल हो गए।
3	3,272.99 (डे.)	रेलवे जमा	वित्त वर्ष 06 में ये शेष राशि प्रतिकूल हो गई।
4	937.30 (डे.)	भोपाल गैस रिसाव आपदा कोष-प्राप्तियां	ये वित्त वर्ष 08 से खातों में दिखाई दे रहे हैं।
5	928.20 (क्रे.)	भोपाल गैस रिसाव आपदा कोष-भुगतान	

²² ₹50,588 करोड़ के कुल 36 मामले ऋण, जमा और प्रेषण शीर्षों और शेष ऋणों और अग्रिमों से संबंधित हैं।

6	211 (डे.)	श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष	वित्त वर्ष 08 में ये शेष राशि प्रतिकूल हो गई।
7	159 (डे.)	शहरी विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता कोष	वित्त वर्ष 16 में ये शेष राशि प्रतिकूल हो गई।

यह अनुशंसा की जाती है कि सभी लेखा प्राधिकारी प्रतिकूल शेष राशि के कारणों की पहचान करें और उन्हें समयबद्ध तरीके से ठीक करें।

2.3.6 निष्क्रिय आरक्षित निधियां और जमाराशियां

आरक्षित निधियां और जमाराशियां लोक लेखा का एक हिस्सा है। वो लेन-देन जिसके संबंध में सरकार प्राप्त धन को चुकाने के लिए दायित्व वहन करती है, उनके पुनर्भुगतान को लोक लेखा में दर्ज किया जाता है। आरक्षित निधि के सृजन में आम तौर पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले लोक लेखा में सी एफ आई से धन का अंतरण शामिल होता है। दूसरी ओर, सरकार की जमा राशि जमाकर्ताओं द्वारा सुरक्षा के रूप में और/या जमाकर्ता की ओर से सरकार द्वारा कुछ कार्य निष्पादित करने के लिए की जाती है।

निष्क्रिय निधि/जमा उन निधियों या जमाओं का सृजन करती है जो लंबे समय से परिचालन में नहीं हैं और हो सकता है कि उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई हो। लोक लेखा में ऐसी निष्क्रिय निधियों/जमाओं की समीक्षा करने की आवश्यकता है और शेष को लोक खाते से समाशोधित किया जा सकता है।

वित्त लेखों की संवीक्षा से पता चला कि वित्त वर्ष 20 के अंत में ₹5,416.33 करोड़ के कुल शेष वाले 8 आरक्षित निधि और 16 जमा निधि 3 से 25 वर्षों की अवधि के लिए निष्क्रिय पड़े थे। 4 आरक्षित निधि और 14 जमा निधि 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े थे और शेष इस अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहे। इसी तरह, अन्य चार आरक्षित निधि और दो जमा निधि 3 से 10 वर्ष की अवधि के लिए निष्क्रिय पड़े थे। ज्यादातर मामलों में, शेष राशि छोटी थी, और उनकी निरंतरता किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतीत नहीं होती थी। पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इस मुद्दे को इंगित किया गया है, लेकिन कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की गई है।

इन निधियों/जमाओं की निरंतरता की समीक्षा की जानी चाहिए और लागू नियमों के अनुसार बंद करने पर विचार किया जाना चाहिए।

2.3.7 बाह्य ऋण को बट्टे खाते में डालने के संबंध में अनुचित लेखांकन

शासकीय लेखा नियमावली (जी ए आर) के नियम 38 में प्रावधान है कि सरकार को देय सभी राशियाँ, जो वसूली न जा सके, को बट्टे खाते में डाल दिया जायेगा। इस राशि को सम्बन्धित ऋण मद के व्यय शीर्ष में सरकार की हानि के रूप में मुख्य शीर्ष “8680-विविध शासकीय खाता- खाते के बंद शेष के बट्टे खाते में डालना” में डाला जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त वर्ष 20 के दौरान बाहरी ऋण की विनिमय दर में भिन्नता के कारण ₹3,108 करोड़ की राशि बट्टे खाते में डाल दी गई थी। हालांकि, उसी राशि को क्रेडिट के रूप में दर्शाया गया था, जिसका अर्थ है कि वर्ष के दौरान विभिन्न लघु शीर्षों के तहत मुख्य शीर्ष 6002 के तहत बाहरी ऋण की प्राप्ति - ऋणात्मक डेबिट के बजाय बाहरी ऋण, जो जी एफ आर के नियम 38 में उल्लिखित प्रावधान के विपरीत था।

सी जी ए ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2020) कि विदेशी ऋण की विनिमय दर में भिन्नता के कारण बट्टे खाते में डालना सामान्य वित्तीय नियम (जी एफ आर) के नियम 273 और जी ए आर के नियम 38 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। हालांकि, इन राशियों को बाह्य ऋण की प्राप्तियों के रूप में दर्शाने के लिए कोई औचित्य प्रदान नहीं किया गया था।

2.4 डेटा अखंडता और पूर्णता के मामले

2.4.1 गारंटी की विवरणी की अपूर्णता

विवरणी 4 केंद्र सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की स्थिति बताता है। 31 मार्च 2020 तक, 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई बकाया गारंटियां ₹4,66,881 करोड़ रुपये थीं। इसके अलावा, उक्त वर्ष के लिए गारंटी शुल्क के रूप में प्राप्य ₹3,075 करोड़ में से, केंद्र सरकार को केवल ₹1,071 करोड़ प्राप्त हुए। तीन मंत्रालयों/विभागों (फार्मास्युटिकल विभाग, नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय, और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-के वी आई सी) ने वित्त वर्ष 20 के दौरान ₹2,027 करोड़ की गारंटी शुल्क की वसूली नहीं की। वाणिज्य विभाग से संबंधित वित्त

वर्ष 20 का ₹11 करोड़ का गारंटी शुल्क वित्त वर्ष 19 में अग्रिम रूप से भुगतान किया गया था। इसके साथ ही, वित्त वर्ष 21 का ₹32.14 करोड़ का गारंटी शुल्क {वाणिज्य विभाग (₹2.34 करोड़) और एम टी एन एल (₹29.80 करोड़)} वित्त वर्ष 20 में प्राप्त हुआ।

इसके अलावा, तीन मंत्रालयों/विभागों कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, और विदेश मंत्रालय ने उनके द्वारा प्राप्य गारंटी शुल्क में माफी/छूट दी।

2.4.1.1 गारंटी शुल्क की कम प्राप्ति

सामान्य वित्तीय नियम (जी एफ आर) निर्धारित करते हैं कि गारंटी शुल्क की दरें बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होंगी।

हालांकि, विवरणी 4 की समीक्षा से पता चला कि तीन मंत्रालयों/विभागों के लेखा अधिकारी वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 20 के दौरान ₹4,873 करोड़ के गारंटी शुल्क की वसूली करने में विफल रहे। इस राशि में से ₹2,027 करोड़ की वसूली वित्त वर्ष 20 के दौरान नहीं हुई, जैसा कि तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: गारंटी शुल्क की कम प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	प्राप्य शुल्क	शुल्क प्राप्त	शुल्क की कम प्राप्ति	टिप्पणियाँ
नागरिक उड्डयन	1,912.76	54.92	1,857.84	एयर इंडिया लिमिटेड ने गंभीर तरलता संकट के कारण गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं किया है
रसायन और उर्वरक - फार्मास्यूटिकल्स	88.51	0	88.51	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक बीमार कंपनी है।
उद्योग	88.22	7.89	80.33	फुटनोट के अनुसार, के वी आई सी लाभ कमाने वाला संगठन नहीं है।
कुल	2,089.49	62.81	2,026.68	

तालिका 2.8 में तीन संस्थाओं में से, दो संस्थाओं (रासायनिक और उर्वरक-फार्मास्यूटिकल एवं नागरिक उड्डयन) के मामले में कम प्राप्ति वित्त वर्ष 18 और वित्त वर्ष 19 के लिए संघ खातों पर सी ए जी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी इंगित की गई थी।

2.4.1.2 बकाया गारंटियों पर जानकारी का मेल न होना

सामान्य वित्तीय नियम (जी एफ आर) संबंधित मंत्रालयों के वित्त प्रभाग/वित्तीय सलाहकारों को गारंटियों पर जानकारी की सटीकता को सत्यापित करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं जो अंततः संघ सरकार के वित्त लेखों में वित्त मंत्रालय द्वारा शामिल की जाती हैं।

बजट अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग को प्राप्त वार्षिक समीक्षा रिपोर्टों की लेखापरीक्षा से पता चला कि संघ सरकार के वित्त लेखों की विवरणी 4 में जिन 19 मंत्रालयों/विभागों की गारंटियां प्रतिवेदित की गई थीं, उनमें से केवल 17 मंत्रालयों²³ ने वित्त वर्ष 20 के दौरान गारंटियों पर समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत की थी। साथ ही, उक्त 17 मंत्रालय/विभाग में से 9 के प्रतिवेदन या तो अपूर्ण थे या निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

शेष 8 मंत्रालयों के प्रतिवेदनों की जांच से पता चला कि कृषि मंत्रालय के मामले में संघ सरकार के वित्त लेखों की विवरणी 4 के अनुसार बकाया राशि समीक्षा ,प्रतिवेदन के अनुसार बकाया राशि से ₹13,101.91 करोड़ अधिक थी। आर्थिक कार्य विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि मामला प्रतिक्रिया के लिए संबंधित मंत्रालय को भेज दिया गया है।

यह अनुशंसा की जाती है कि वित्त मंत्रालय गारंटी प्रदान करने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा सटीक और पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। साथ ही, यह दोहराया जाता है कि आर्थिक कार्य विभाग को एफ आर बी एम के सीमाओं और चूक के जोखिम की प्रभावी निगरानी के लिए गारंटियों का एक विश्वसनीय और पूर्ण डेटाबेस बनाना चाहिए और उसे अनुरक्षित रखना चाहिए।

²³ वित्त वर्ष 20 में समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने वाले दो मंत्रालयों के नाम: 1. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एचयूपीए) 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

2.4.2 विवरणी 9, 10 और 13 में विसंगतियां

2.4.2.1 आरक्षित निधियों से वितरित और पूर्ति की गई राशियों में विसंगतियां

सं. स. वि. ले. की विवरणी 13 में दर्शाई गई किसी आरक्षित निधि से संवितरित राशि और सं. स. वि. ले. की विवरणी 9 में दी गई निधि से किए गए व्यय के आंकड़े बिल्कुल मेल खाने चाहिए। निम्नलिखित मामलों में विवरणी 9 और 10, और विवरणी 13 में प्रदर्शित होने वाले आंकड़ों के बीच विसंगतियां देखी गईं।

तालिका 2.9: आरक्षित निधि से संवितरित और प्राप्त राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरणी 9 और 10 के अनुसार शीर्ष	रकम	विवरणी 13 के अनुसार आरक्षित निधि से संवितरित राशि	अंतर	टिप्पणियाँ
1	कटौती-निर्भया निधि से किया गया व्यय	1,084.69	1,034.76	49.93	सी जी ए ने जवाब दिया कि रक्षा (सेवाएँ) द्वारा 3601.06.902 के तहत निर्भया निधि से कटौती की गई राशि के रूप में ₹50 करोड़ दर्ज किए गए हैं, लेकिन राशि को उनके एस सी टी में निर्भया निधि से वितरित नहीं दिखाया गया है। इसके अलावा, रक्षा लेखा महानियंत्रक ने इस संबंध में केवल एक अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किया।
2	कटौती-रेलवे पेंशन निधि से किया गया व्यय	48,726.01	49,187.89	461.88	ये विसंगतियां प्रक्रियाओं के असंगत तरीके को अपनाने का परिणाम हैं।
3	कटौती-रेलवे सुरक्षा निधि से किया गया व्यय	6,885.74	16,885.74	10,000.00	
4	राष्ट्रीय वनीकरण प्रतिपूरक निधि से किया गया व्यय	40.80	0.00	40.80	सी जी ए ने कहा कि मुद्दा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ उठाया गया था, लेकिन उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2021)।

2.4.2.2 मुख्य शीर्ष 8450 - केंद्र शासित प्रदेशों के शेष खाते के अंतर्गत राज्यों के शेष

विवरणी 13 में, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य शीर्ष 8450 शेष खातों के तहत विभिन्न लघु शीर्षों के अंतर्गत शेष थे। ये 8450.101 के अंतर्गत पुडुचेरी (₹40.12 करोड़ के.), 8450.102 के अंतर्गत गोवा, दमन और दीव (₹16.30 करोड़ के.), 8450.104 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश (₹56.82 करोड़ के.), 8450.105 के अंतर्गत मिजोरम (₹124.41 करोड़ के.) से संबंधित थे। प्रासंगिक रूप से, ये केंद्र शासित प्रदेश बहुत पहले या तो राज्य बन गए थे या अलग लोक लेखा के साथ विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। यह राशियाँ पुडुचेरी के संबंध में 2007-08 से और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव और मिजोरम के संबंध में 2002-03 से शेष पड़ी हुई हैं। सी जी ए ने कहा कि शीर्ष 8450 - केंद्र शासित प्रदेशों के शेष खाते में जो क्रेडिट/डेबिट शेष हैं, वे देय/प्राप्य हैं। पुडुचेरी, गोवा, दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के शेष पुराने शेष हैं और खातों में जारी हैं।

सी जी ए के उत्तर ने लेखापरीक्षा तर्क को संबोधित नहीं किया और अनियमित शेषों के समाशोधन के लिए कोई रोडमैप प्रदान नहीं किया।

2.4.3 सरकारी निवेशों से संबंधित मामले

सं. स. वि. ले. की विवरणी 11 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य संस्थाओं में केंद्र सरकार के निवेश का विवरण प्रदान करता है। सी जी ए और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सी जी ए उक्त विवरणी में प्रस्तुत आंकड़ों के सटीकता और पूर्णता के लिए जिम्मेदार हैं। सं. स. वि. ले. में निहित सरकारी कंपनियों/ निगमों/ बैंकों और समितियों आदि की जानकारियों को संबंधित संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ मिलान करने पर देखी गयी विसंगतियां तालिका 2.10 में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 2.10: सरकारी निवेश में विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

इकाई	सरकार द्वारा इक्विटी निवेश			
	सं. स. वि. ले. के विवरणी 11 के अनुसार		इकाई के वार्षिक लेखा के अनुसार	
	इक्विटी	प्रतिशत	इक्विटी	प्रतिशत
कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	4.43	--	7.98	--
आवास और शहरी विकास निगम	--	100	--	89.81

स्रोत: वित्त वर्ष 20 का सं. स. वि. ले. और संबंधित संस्थाओं के वार्षिक खाते

इसके अलावा, 67 संस्थाओं के संबंध में, विवरणी 11 में प्रकृति, निवेश, अंकित मूल्य, शेयरों की संख्या, पूंजी और 45 संस्थाओं में केंद्र सरकार के निवेश के प्रतिशत के संबंध में अधूरी जानकारी थी। इसके अलावा, 22 संस्थाओं में, वित्त वर्ष 20 में निवेश/विनिवेश होने के बावजूद पिछले वर्ष से इक्विटी शेयर का प्रतिशत अपरिवर्तित रहा। उदाहरण के लिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में वित्त वर्ष 19 तक का निवेश ₹9,842.63 करोड़ था, जिसे वित्त वर्ष 20 के दौरान बढ़ाकर ₹10,587.93 करोड़ कर दिया गया था। लेकिन इक्विटी का प्रतिशत 50 पर ही रहा। इसी तरह टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (टी एच डी सी) के मामले में वित्त वर्ष 19 तक निवेश ₹2,723.94 करोड़ था, जबकि विनिवेश के बाद वित्त वर्ष 20 के दौरान टी एच डी सी की इक्विटी में 14 करोड़ की कमी आई थी। लेकिन दोनों वर्षों में इक्विटी का 74.45 प्रतिशत पर ही रहा।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार सं. स. वि. ले. में दर्शाए गए निवेश के आंकड़ों का मिलान (न केवल एक बार बल्कि निरंतर आधार पर) सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करे, जो सरकारी कंपनियों/ निगमों/ बैंकों और सोसायटी आदि के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में परिलक्षित होता है।

2.4.4 विनिवेश के आंकड़ों में भिन्नता

निम्नलिखित मामलों में, सं. स. वि. ले. की विवरणी 11 में दर्शाया गया विनिवेश, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डी आई पी ए एम), वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए विनिवेश विवरणी से भिन्न थे।

तालिका 2.11: विनिवेश के आंकड़ों में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम	विनिवेश की गई राशि डी आई पी ए एम के अनुसार (बराबर मूल्य)	विनिवेश की गई राशि विवरणी 11 के अनुसार	उत्तर/टिप्पणियां
उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन	3,609	0	सी जी ए ने कहा कि कंपनी में कुल निवेश ₹3,387 करोड़ है जो कि विनिवेश की गई राशि से कम है और इसलिए, ऊर्जा मंत्रालय से अंतर को सुलझाने का अनुरोध किया गया है।
रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सर्विसेज लिमिटेड (राइट्स)	25	0	--
भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड	160	0	विवरणी 11 के अनुसार कंपनी में कुल निवेश ₹20 करोड़ था।

इस प्रकार, तालिका 2.11 में दर्शाई गई सीमा तक विवरणी 11 अधूरा था और निवेश/विनिवेश की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता था क्योंकि ऊपर सूचीबद्ध दो मामलों में विनिवेश की गई राशि इन कंपनियों में निवेश से अधिक है।

2.4.5 इक्विटी शेयर और प्रतिशत होल्डिंग की जानकारी में भिन्नता

10 मामलों में, विवरणी 11 और इकाई के वार्षिक खातों में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच अंतर था।

तालिका 2.12: इक्विटी शेयर और प्रतिशत होल्डिंग का विवरण

मंत्रालय (विवरणी 11 के अनुसार क्रमांक)	इकाई	विवरणी 11 के अनुसार		इकाई के वार्षिक खाते के अनुसार	
		इक्विटी शेयरों की संख्या	% होल्डिंग	इक्विटी शेयरों की संख्या	% होल्डिंग
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (क्रमांक 6)	तेल और प्राकृतिक गैस निगम	4,65,08,54,437	62.98	7,59,96,08,458	60.41
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (क्रमांक 160)	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	35,47,83,293	54.93	1,14,91,83,592	52.98
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (क्रमांक 162)	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	12,70,47,788	59.37	3,25,4,04,724	51.50
रेल मंत्रालय (क्रमांक 170)	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	10,68,49,205	61.80	33,38,84,975	54.79
रेल मंत्रालय (क्रमांक 179)	भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड	2,00,00,000	100	13,98,40,000	87.40
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (क्रमांक 231)	आवास और शहरी विकास निगम	1,79,78,412	100	1,79,78,41,253	89.81
ऊर्जा मंत्रालय (क्रमांक 87)	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2,68,58,72,408	57.37	2,68,58,72,408	51.34
रक्षा मंत्रालय (क्रमांक 70)	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1,14,16,42,457	-	1,24,59,73,978	-
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (क्रमांक 218)	नेशनल हाइवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	20,00,000	100	10,30,00,000	100
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (क्रमांक 163)	गेल (इंडिया) लिमिटेड	62,31,92,787	51.76	2,33,44,49,987	51.76

सी जी ए ने अपने उत्तर में कहा कि सं. स. वि. ले. मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संकलित किया गया है। इसलिए, भिन्नताओं को स्पष्ट करने के लिए मामले को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया है।

सी जी ए का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस मुद्दे को पहले के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी लाया गया है, लेकिन कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

2.4.6 विवरणी 11 में अन्य विसंगतियां

विवरणी 11 में प्रदर्शित जानकारियों की नमूना-जांच से पता चला कि इसमें डेटा/सूचना को एक संगठित तरीके से प्रस्तुत नहीं किया था। सांविधिक निगम और संयुक्त स्टॉक

कंपनियों को आपस में जोड़ा गया था और एक मंत्रालय/विभाग के तहत सभी संस्थाओं को क्रमबद्ध रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया था। कई मामलों में, प्रशासनिक मंत्रालय के नामकरण और संस्था के नाम और प्रकृति को अद्यतन नहीं किया गया था। ऐसे कुछ मामले नीचे सूचीबद्ध हैं:

- (i) भारी उद्योग मंत्रालय के बजाय उद्योग मंत्रालय;
- (ii) ओ एन जी सी एक वैधानिक निगम के रूप में, जबकि यह अब एक कंपनी है;
- (iii) सिडबी एक कंपनी के रूप में, जबकि अब यह एक वैधानिक निगम है;
- (iv) एन एस डी सी को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत दर्शाया गया, जबकि यह कौशल विकास मंत्रालय के अधीन है;
- (v) सिडबी को वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के बजाय उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत दर्शाया गया।

2.4.7 यू टी आई के निर्दिष्ट उपक्रम (एस यू यू टी आई) के परिसंपत्तियों का लेखांकन

यू टी आई का निर्दिष्ट उपक्रम (एस यू यू टी आई) संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था और इसमें यू टी आई की सभी व्यावसायिक परिसंपत्तियां, देनदारियां और संपत्तियां शामिल हैं जो कि उक्त अधिनियम की अनुसूची में दर्शाए गए योजनाओं और विकास आरक्षित निधि से संबंधित हैं। इस उपक्रम को संघ सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक को स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि, न तो एस यू यू टी आई और न ही इसकी परिसंपत्तियाँ/देनदारियां को सं. स. वि. ले. में दर्शाया गया है।

वित्त वर्ष 19 के संघ लेखाओं पर सी ए जी की 2020 की प्रतिवेदन संख्या 4 (अनुच्छेद 2.4.2.8) में उपरोक्त के मद्देनजर यह बताया गया था कि एस यू यू टी आई द्वारा धारित शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय केंद्र सरकार को हस्तांतरित की गई राशि ₹12,426 करोड़ को विविध पूंजी प्राप्तियों के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है और इस तरह की आय (वर्ष के दौरान एस यू यू टी आई द्वारा उत्पन्न अधिशेष का हिस्सा होने के नाते) को केवल गैर-कर राजस्व के रूप में माना जा सकता है। वित्त वर्ष 20 के दौरान, यह देखा गया कि एस यू यू टी आई ने इसी तरह केंद्र सरकार को ₹2,069.86 करोड़ प्रेषित किए थे, जिन्हें फिर से सं. स. वि. ले. में मुख्य शीर्ष 4000-विविध पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत उप-मुख्य शीर्ष-01 के अंतर्गत 'अन्य प्राप्तियों' (लघु शीर्ष 800) के तहत शामिल किया गया था। विविध पूंजी प्राप्तियों के तहत यह

वर्गीकरण गलत था क्योंकि एस यू यू टी आई से प्रेषण वर्ष के दौरान एस यू यू टी आई द्वारा अर्जित अधिशेष (एस यू यू टी आई द्वारा धारित शेयरों की बिक्री से आय सहित) के हस्तांतरण की प्रकृति में था जिसे केवल गैर-कर राजस्व के रूप में माना जा सकता था। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों को अधिक बताया गया और राजस्व प्राप्तियों को कम बताया गया।

वित्त मंत्रालय ने कहा (मार्च 2021) कि वित्त वर्ष 20 के दौरान, एस यू यू टी आई ने अपने पास रखे शेयरों के एक हिस्से का निपटान किया और ₹1,469.86 करोड़ की राशि केंद्र सरकार को हस्तांतरित की जो कि एक्सिस बैंक लिमिटेड (₹465.85 करोड़) और एल एंड टी (₹1,004.01 करोड़) में एस यू यू टी आई की हिस्सेदारी को बेचकर प्राप्त हुआ थी। ये विनिवेश प्राप्तियां हैं और वित्त वर्ष 21 के बाद से, इन्हें विनिवेश आय - मुख्य शीर्ष 4000.03.190 और मुख्य शीर्ष 4000.04.190 में रिकॉर्ड करने के लिए शीर्षों के अंतर्गत रखा जाएगा। एस यू यू टी आई ने अपने निवेश आदि से अर्जित अतिरिक्त आय ₹600 करोड़ की राशि केंद्र सरकार को हस्तांतरित की। इसके अलावा, सी ए जी की 2019 की प्रतिवेदन संख्या 18 (वित्त वर्ष 18 से संबंधित) के अनुच्छेद 8.3 में किए गए अवलोकन के अनुसार, निवेश से आय को मुख्य शीर्ष 4000.01.800 (अन्य प्राप्तियां) के तहत दर्ज किया गया था।

वित्त मंत्रालय के उत्तर में इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है कि संघ लेखों की लेखापरीक्षा के भाग के रूप में लेन-देन की प्रकृति की अनुवर्ती लेखापरीक्षा समीक्षा के बाद वित्त वर्ष 19 के लिए यह कहा गया था (सी ए जी की 2020 की प्रतिवेदन संख्या 4: अनुच्छेद 2.4.2.8) कि एस यू यू टी आई से प्राप्त आय को केवल गैर-कर राजस्व के रूप में माना जा सकता है न कि पूंजीगत प्राप्तियां।

यह अनुशंसा की जाती है कि मंत्रालय यहाँ निहित सी ए जी की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए लेखा अधिकारियों के परामर्श से एस यू यू टी आई द्वारा केंद्र सरकार को हस्तांतरित अधिशेष (शेयरों से आय सहित) के लेखांकन उपचार की समीक्षा करे।

2.4.8 निवेश के आकृतिण में विसंगति

वित्त लेखे की विवरणी 11 का विनियोग खातों के अनुलग्नक-सी के मिलान से पता चला कि वित्त वर्ष 20 के लिए केंद्र सरकार द्वारा निवेश के आकृतिण में विसंगति है, जैसा कि तालिका 2.13 में दिखाया गया है।

तालिका 2.13: सरकारी निवेश के आकृतिण में विसंगति

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग	कंपनी	निवेश	
		वित्त लेखा	विनियोग खाते (अनुबंध सी)
जहाजरानी मंत्रालय	सागरमाला विकास कंपनी सी आर आई ऍफ़ से वित्तपोषित	शून्य	200.00

इसके अलावा, वित्त लेखे और विनियोग खातों के अनुलग्नक-सी की कुछ संस्थाओं के नामों में भिन्नता थी जैसा कि तालिका 2.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: संस्थाओं के नामों में विसंगति

मंत्रालय/विभाग	इकाई का नाम	
	वित्त लेखे	विनियोग लेखे
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वेंचर कैपिटल निधि	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वेंचर कैपिटल निधि

उत्तर में, सी जी ए ने केवल एक अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किया (फरवरी 2021) जिसमें कहा गया था कि मामला संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाया गया था।

2.5 ऋणों और अग्रिमों के विवरण के संबंध में मामले

सं. स. वि. ले. की विवरणी 15, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा ऋणों और अग्रिमों की जानकारी शामिल है, की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित का पता चला:

2.5.1 बकाया ऋण और अग्रिमों की गैर वसूली

31 मार्च 2020 तक राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और अन्य संस्थाओं को दिए गए ₹3,24,061 करोड़ के कुल ऋण (ब्याज सहित) के सापेक्ष, वसूली में बकाया राशि ₹58,707 करोड़ (19 प्रतिशत) थी, जैसा कि तालिका 2.15 में विस्तृत है।

तालिका 2.15: कुल बकाया ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

31 मार्च तक बकाया राशि 2020					
ऋणी की श्रेणी		मूल	ब्याज	योग	
राज्य सरकार		3,90	1,715	2,105	
केंद्र शासित प्रदेश		2,206	1,867	4,073	
अन्य ऋणी ²⁴		17,456	35,073	52,529	
योग		20,052	38,655	58,707	
आयु-वार विश्लेषण					
ऋणी की श्रेणी	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संस्थाओं की संख्या	बकाया की अवधि (वर्ष में)	मूल	ब्याज	धनराशि
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार	22	>25	5,83	1,687	2,270
	05	15-25	2,013	1,895	3,908
अन्य संस्थाएं	79	>25	6,301	24,761	31,062
	28	15-25	3,113	4,991	8,104
	41	5-15	6,050	5,288	11,338
	7	<5	1,992	33	2,025
योग	155		20,052	38,655	58,707

इन अग्रिमों को देने में शामिल मंत्रालयों/विभागों ने कहा कि ऐसे अग्रिमों पर पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के लिए अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इन परिस्थितियों में, किसी भी वसूली की संभावना कम है।

यह अनुशंसा की जाती है कि वित्त मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों को मौजूदा प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद बकाया ऋणों और अग्रिमों की शेष राशि की समीक्षा करने के लिए समयबद्ध तरीके से बड़े खाते में डालने सहित उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दे।

2.5.2 बकाया ऋणों के संबंध में ब्याज नहीं दर्शाया जाना

केंद्र सरकार के वित्त लेखों की विवरणी 15 की धारा 3 में 'अन्य ऋणी संस्थाओं या संस्थानों से बकाया के पुनर्भुगतान' को दर्शाया गया है। इस विवरणी की जांच में पता चला कि 'श्री सीताराम शुगर कंपनी बैथलपुर, यू पी', 'देवरिया शुगर मिल्स, देवरिया, यू पी', 'राजा बुलान शुगर लिमिटेड, रामपुर, यू पी' जैसे मामलों में, यद्यपि ऋण अग्रिम की मूल राशि बकाया थी, बकाया ऋणों के विरुद्ध ब्याज नहीं दर्शाया गया था।

²⁴ 155 अन्य ऋणी संस्थाओं में निगम, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, सोसायटी, चीनी मिल, कैंटीन और निजी संस्थाएं आदि शामिल हैं।

यही आपत्ति पिछले वर्ष भी उठाई गई थी और सी जी ए कार्यालय ने सूचित किया था कि इस मामले को संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाया गया था। यह पाया गया है कि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

2.5.3 खाता शीर्ष 6801.800 - अन्य ऋण के अंतर्गत बकाया ऋण

वित्त वर्ष 20 के लिए सं. स. वि. ले. की विवरणी 15 में देखा गया कि बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण से संबंधित मुख्य शीर्ष 6801 के तहत लघु शीर्ष 800-अन्य ऋणों के प्रति ₹101.20 करोड़ का ऋण बकाया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सितंबर 2018 में ऊर्जा मंत्रालय ने वेतन और लेखा कार्यालय को सूचित किया था कि ये बकाया ऋण 1980 के दशक में "उत्पादन संपत्ति" के लिए राज्य बिजली बोर्डों को दिए गए ऋणों से संबंधित था और चूंकि बिजली बोर्ड (एस ई बी) अब अलग हो चुके थे, यह स्पष्ट नहीं था कि उस स्तर पर देनदारियों को उत्तराधिकारी संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया या नहीं। इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं था कि इन देनदारियों/ऋणों को एस ई बी के अलग होने के बाद कहाँ दर्शाया गया था। यह भी पाया गया कि ऐसे ऋणों की वसूली के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, चूंकि सहायता थर्मल परिसंपत्तियों के लिए थी, डिस्कॉम से वसूली उचित नहीं होगी। लेकिन, इस संबंध में कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है।

मामला ऊर्जा मंत्रालय (जनवरी 2021) के साथ उठाया गया था, लेकिन जवाब प्रतीक्षित (मार्च 2021) था।

2.5.4 आर ई सी लिमिटेड पर बकाया ऋण

लेखापरीक्षा ने पाया कि आर ई सी लिमिटेड (पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड) के विरुद्ध ₹8.11 करोड़ का ऋण 2004-05 से बकाया था। हालांकि, जैसा कि आर ई सी लिमिटेड द्वारा सितंबर 2018 में सी सी ए कार्यालय को सूचित किया गया था, 2003-04 और 2004-05 के दौरान कंपनी द्वारा ब्याज सहित पूरी देय राशि चुका दी गई थी और आगे कोई बकाया ऋण नहीं था। इस प्रकार, ₹8.11 करोड़ के ऋण के लम्बित होने के संबंध में सी सी ए कार्यालय और आर ई सी लिमिटेड के अभिलेखों के बीच एक विरोधाभास था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि यद्यपि सी सी ए कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार, आर ई सी लिमिटेड के खिलाफ 2004-05 से उपरोक्त ऋण बकाया था, परन्तु संबंधित

का नाम भाग 3: वित्त वर्ष 20 के लिए केंद्र सरकार के वित्त खातों की विवरणी 15 के अन्य ऋणी संस्थाओं या संस्थानों से बकाया का पुनर्भुगतान, में नहीं पाया गया। आर ई सी लिमिटेड पर बकाया ऋण को सुनिश्चित करने एवं लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई विसंगतियों को दूर करने के लिए मंत्रालय से (जनवरी 2021) अनुरोध किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2021)।

2.6 उपकर/ उगाही के लेखांकन से संबंधित मुद्दे

सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन जुटाने के लिए उपकर/उगाही और अन्य शुल्क लगाती है। अधिकांशतः ऐसी प्राप्तियों के संग्रहण का लेखांकन, कानून और नियमों द्वारा विनियमित होता है, जिसमें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन उगाही/लागत/उपकरों का उपयोग अभीष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाये, आरक्षित निधियों के सृजन का प्रावधान होता है। ऐसी प्राप्तियों की निगरानी के लिए लेखा प्रक्रिया तैयार करने की जिम्मेदारी महालेखा नियंत्रक (सी जी ए) की है, जिसमें लोक लेखा में उपयुक्त आरक्षित निधियों का संचालन शुरू करना शामिल है। वित्त वर्ष 20 में ₹1,98,402 करोड़ की राशि का उपकर²⁵ एकत्रित किया गया था और इसमें से ₹1,20,026 करोड़ को आरक्षित निधि²⁶ में अंतरित कर दिया गया था।

2.6.1 सार्वभौमिक अभिगम उगाही

सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू एस ओ) निधि की स्थापना अप्रैल 2002 में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएँ पहुँचाने और मोबाइल सेवा एवं ब्राडबैंड सेवा के लिए अवसंरचना द्वारा सार्वभौमिक सेवा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई थी। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए 'सार्वभौमिक अभिगम लेवी' (यू ए एल) के माध्यम से संसाधनों को जुटाया जाना था। इस तरह एकत्रित की गई लेवी को पहले सी एफ आई और उसके बाद संसद द्वारा अनुमोदित विनियोग के आधार पर गैर-व्यपगत यू एस ओ निधि में अंतरित किया जाता है, जिसका निर्माण लोक लेखा में विशेष रूप से एकत्रित उगाही के उपयोग किए जाने के लिए किया जाता है।

²⁵ जी एस टी क्षतिपूर्ति उपकर को छोड़कर, जिसका विवरण अनुच्छेद 2.3.4 में अलग से किया गया है।

²⁶ केंद्रीय सड़क निधि (₹90,252 करोड़), प्रारम्भिक शिक्षा कोष (₹26,848 करोड़) और यू एस ओ निधि (₹2,926 करोड़)

वित्त वर्ष 20 के दौरान संसद ने बजट प्राक्कलन में ₹8,350 करोड़ के यू एस ओ निधि में अंतरण को मंजूरी दी थी। विवरणी 8, 9 एवं 13 की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि वित्त वर्ष 20 के दौरान यूएएल का कुल संग्रह ₹7,961.53 करोड़ था, जिसमें से केवल ₹2,926 करोड़ यू एस ओ निधि में हस्तांतरण किए गए थे। इस प्रकार यू एस ओ निधि में ₹5,035.53 करोड़ का कम अंतरण हुआ था।

यू एस ओ निधि के लिए उगाही के कम हस्तांतरण का मुद्दा सी ऐ जी की संघीय लेखों पर जारी वित्त वर्ष 10 से वित्त वर्ष 15 तक के तथा वित्त वर्ष 19 के प्रतिवेदनों में लाया गया था, परन्तु मामले का निबटारा अभी तक नहीं हुआ है।

2.6.2 राष्ट्रीय खनिज न्यास उगाही

संघ सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एन एम डी आर) अधिनियम के अनुसार 2015-16 में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट को खनन पट्टों के धारकों द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी के प्रतिशत के रूप में भुगतान किया जाता है जो राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है और उसके बाद संघ सरकार को भुगतान किया जाता है। इस प्रकार एकत्रित धनराशि को लोक लेखा में राष्ट्रीय खनिज न्यास निधि अंतरित किया जाता है।

विवरणी 8, 9 और 13 की जाँच से पता चला कि इस लेखा में कुल संग्रह ₹664.85 करोड़ था और निधि अंतरण ₹100 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹564.85 करोड़ का कम अंतरण हुआ।

2.6.3 तेल उद्योग विकास बोर्ड को उपकर का अंतरण न करना

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत तेल उद्योग के विकास के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ आई डी बी) की स्थापना का प्रावधान है और इस उद्देश्य के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उपकर के रूप में उत्पाद शुल्क वसूल करता है। अधिनियम में उपकर को पहले सी एफ आई में जमा करने और उसके बाद संसद द्वारा तेल उद्योग विकास कोष (ओ आई डी एफ) के लिए पारित निधि से बोर्ड को भुगतान करने का प्रावधान है। यह निधि अन्य उद्देश्य के साथ-साथ तेल उद्योग के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों में उपयोग की जानी थी।

वित्त वर्ष 10 से वित्त वर्ष 20 की अवधि के लिए सं. स. वि. ले. की विवरणी 8 की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कच्चे तेल पर एकत्रित कुल उपकर ₹1,28,461

करोड़ था। विवरणी 9 की तदनुसूची संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि उपकर की कुल आय में से कोई भी राशि ओ आई डी बी को हस्तांतरित नहीं की गई थी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ओ आई डी बी की स्थापना के बाद से केवल ₹902.40 करोड़ ओ आई डी बी को हस्तांतरित किए गए थे और 1991-92 से, सरकार द्वारा एकत्र किए गए उपकर में से कोई भी राशि ओ आई डी बी को अंतरित नहीं की गई।

उपरोक्त विवरण के संदर्भ में यह इंगित किया गया है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर स्थायी संसदीय समिति (15वीं लोकसभा) ने भी यह नोट किया था कि इस वार्षिक उपकर से एकत्रित राशि वित्त मंत्रालय द्वारा ओ आई डी बी अधिनियम के उल्लंघन में आवंटित किया जा रहा था। जब मामले को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आगे बढ़ाया गया, तो वित्त मंत्रालय ने (जनवरी 2015) कहा कि सरकार बजट से विभिन्न गतिविधियों को वित्तपोषित कर रही थी जिसमें उपकर से आय शामिल थी, और यह ओ आई डी बी अधिनियम के संदर्भ में तेल उद्योग के विकास के अंतर्गत लाने योग्य था। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उपकर को सामान्य पूल कर के रूप में लगाना उपकर लगाने के उद्देश्य के विपरीत है जिसका उद्देश्य निर्दिष्ट उपयोग के लिए राशि का एक गैर-व्यपगत पूल बनाना था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने देखा कि पिछले पांच वर्षों में मंत्रालय द्वारा तेल उद्योग के विकास से संबंधित गतिविधियों पर केवल ₹15,506 करोड़ खर्च किए गए थे, जबकि इस अवधि के दौरान उपकर के रूप में ₹72,384 करोड़ का संग्रह किया गया था।

पिछले 10 वर्षों में ओ आई डी बी को उपकर का हस्तांतरण न होने के कारण, इसे सी एफ आई में बरकरार रखा गया था। परिणामस्वरूप, यह आश्वस्त नहीं किया जा सकता कि उपकर का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए ये एकत्र किए गए थे।

2.6.4 स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर

वित्त वर्ष 19 में आयकर और निगम कर पर प्राथमिक शिक्षा उपकर (सभी करों पर दो प्रतिशत) और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर (सभी करों पर एक प्रतिशत) बंद कर दिया गया था, और उनके स्थान पर, चार प्रतिशत की दर से एक नया उपकर, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, पेश किया गया था। आयातित वस्तुओं पर प्राथमिक शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर को भी हटा दिया गया और सरकार

की सामाजिक कल्याण योजनाओं को प्रदान करने के लिए इसे सीमा शुल्क पर एक सामाजिक कल्याण अधिभार कर दिया गया था।

उपर्युक्त उपकरणों के संग्रहण तथा समर्पित आरक्षित निधियों में उनके अंतरण के संबंध में सं. स. वि. ले. की विवरणी 8, 9 और 10 के लेखापरीक्षा से पता चला कि वित्त वर्ष 20 में इन उपकरणों के अंतर्गत कुल संग्रहण ₹39,241 करोड़ था। चूंकि स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरण हेतु कोई नई आरक्षित निधि नहीं थी, वित्त वर्ष 20 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के अंतर्गत इस उपकरण की आय को प्रारंभिक शिक्षा कोष (पी एस के), और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एम यू एस के) में अंतरित करना जारी रखा गया, जो कि क्रमशः प्राथमिक शिक्षा उपकरण, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकरण के लिए बनाया गया था।

वित्त वर्ष 20 के लिए संशोधित अनुमान में पी एस के को अंतरण के लिए ₹28,920 करोड़ तथा एम यू एस के को अंतरण के लिए ₹14,460 करोड़ स्वीकृत किए गए थे। पी एस के के मामले में, वित्त वर्ष 20 के दौरान ₹26,848 करोड़ की राशि कोष में अंतरित की गई थी, जबकि एम यू एस के के मामले में कोई अंतरण नहीं किया गया क्योंकि आरक्षित कोष का संचालन अभी बाकी था। हालांकि, लेखापरीक्षा छानबीन से पता चला कि ₹974 करोड़ सीधे शीर्ष/योजनाओं के लिए उपयोग किया गया था जो कि एम यू एस के के माध्यम से वित्तपोषित करने के लिए प्रस्तावित थे, जिसमें ₹13,486 करोड़ की कमी थी। उपकरण से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोई व्यय परिकल्पित नहीं किया गया था और न ही इस उद्देश्य के लिए कोई समर्पित कोष बनाया गया था।

2.6.5 सड़क और अवसंरचना उपकरण

केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के तहत एकत्रित पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में सड़क और अवसंरचना उपकरण कानून द्वारा विनियोग के माध्यम से संसद द्वारा तय की गई सीमा तक केंद्रीय सड़क कोष (सी आर एफ) में जमा किया जाना है। वित्त अधिनियम 2018 द्वारा कोष को 01 अप्रैल 2018 से

केंद्रीय सड़क तथा अवसंरचना कोष (सी आर आई एफ) के रूप में फिर से नामित किया गया जो कि इसके परिनियोजन के दायरे²⁷ तथा उपकर की मात्रा को बढ़ाता है। सं. स. वि. ले. की विवरणी 8 और 13 की लेखापरीक्षा जांच और बजट विवरणों में छानबीन से पता चला कि विवरणी 13 में निधि को सी आर आई एफ के बजाय सी आर एफ के रूप में चित्रित करना जारी रखा। इसके अलावा, सी आर आई एफ अधिनियम के तहत कुल ₹1,22,440 करोड़ उपकर के संग्रह के बजाय, संसद ने विनियोग के लिए ₹1,22,369 करोड़ को मंजूरी दी। हालांकि निधि में वास्तविक अंतरण केवल ₹90,252 करोड़ था। लघु हस्तांतरण का एक हिस्सा, रेल मंत्रालय द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से रेलवे सुरक्षा कोष तथा ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 'अन्य निधियों' में क्रमशः ₹17,250 करोड़ तथा ₹4,380 करोड़ का अंतरण हुआ। हालांकि, इन निधियों का उपयोग पूर्ण रूप से उन उद्देश्यों के लिए किया गया था जिस हेतु सी आर आई एफ बनाया गया था। इसी तरह, ₹6,853 करोड़ इस आधार पर सी आर आई एफ को अंतरित नहीं किया गया कि सी आर आई एफ के लिए लेखांकन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया था; हालांकि, राशि को सामान्य बजटीय सहायता के रूप में भावी उद्देश्यों के लिए खर्च किया गया था। इसमें से ₹3,705 करोड़ शेष रह गए, जो कि उस प्रयोजन के लिए अंतरित/उपयोग नहीं किए गए थे जिसके लिए उपकर एकत्र किया गया था।

यह अनुशंसा की जाती है कि वित्त मंत्रालय सी आर एफ । सी आर आई एफ अधिनियम के तहत एकत्रित उपकरों की शेष राशि की समीक्षा करे ताकि भावी उद्देश्यों के लिए जमा की गई राशि की गणना की जा सके और सी आर आई एफ को अंतरित की जा सके।

2.7 मिलान और अनुचित लेखांकन से संबंधित मुद्दे

2.7.1 राष्ट्रीय राजमार्ग निधि का मुद्रीकरण

स्वीकृत लेखा प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण की प्राप्तियों को शीर्ष 4000.01.106-‘राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण की आय’ के तहत दर्ज किया जाना है।

²⁷ राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव, ग्रामीण सड़कों का विकास, अन्य राज्य की सड़कों का विकास और रखरखाव, रेलवे के नीचे या ऊपर सड़कों का निर्माण, मौजूदा मानक लाइनों को गेज लाइनों में बदलना और रेल लाइनों का विद्युतीकरण और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करना आदि।

इस प्रकार प्राप्त राशि को लोक लेखा में राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रिकरण खाते के शीर्ष 8225.03.101-‘राष्ट्रीय राजमार्ग निधि का मुद्रिकरण’ में राजस्व मद 3054.80.797- आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण के माध्यम से अंतरित किया जाना है। निधि से किए गए व्यय को 5054.01.337-‘सड़क कार्य’ के तहत किए गए बजट प्रावधान के तहत दर्ज किया जाना है और इस प्रकार खर्च की गयी राशि को खाते के शीर्ष 5054.01.905- राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रिकरण से प्राप्त कटौती राशि के माध्यम से पुनर्भरण किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एम ओ आर टी एच) के समेकित/वर्गीकृत सार से पाया कि ₹5,000 करोड़ की राशि स्वीकृत राजस्व शीर्ष 3054.80.797 के बजाय पूंजी शीर्ष 5054.80.797 के माध्यम से लोक लेखा में निधि में अंतरित की गई थी। इसके अलावा, निधि से किए गए ₹5,000 करोड़ के व्यय को स्वीकृत शीर्ष 5054.01.337 के बजाय शीर्ष 5054.01.190-‘सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों’ में निवेश के तहत दर्ज किया गया था।

इसके अतिरिक्त, यद्यपि वित्त वर्ष 20 में राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रिकरण से कोई प्राप्ति नहीं हुई थी, "राष्ट्रीय राजमार्ग मुद्रिकरण निधि" में आय मुद्रिकरण से प्राप्त आय की जगह सकल बजटीय सहायता (जी बी एस) के माध्यम से अंतरित की गयी थी। जी बी एस के माध्यम से प्रदान की गयी इन निधियों का उपयोग सड़क कार्य के बजाय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश के रूप में पूंजीगत व्यय करने के लिए किया गया था।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2021) में लेखापरीक्षा टिप्पणी को संबोधित नहीं किया।

2.7.2 आइ जी एस टी का बंटवारा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269 अ(1) के अनुसार अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रदाय पर वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा तथा ऐसा कर उस रीति में संघ और राज्यों में प्रभाजित किया जाएगा, जो संसद द्वारा विधि द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर उपबन्धित किया जाएगा। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 17 में संशोधन के अनुसार "उपधारा (1) तथा उप धारा (2) के तहत प्रभाजित नहीं

की गयी राशि कुछ समय के लिए परिषद की सिफारिश पर, केंद्र सरकार को 50 प्रतिशत की दर से तथा राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत की दर से तदर्थ आधार पर प्रभाजित किया जाएगा और उक्त उपधाराओं के तहत प्रभाजित राशि के तहत समायोजित की जाएगी।

संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी 8 की जाँच से पता चला कि अधिनियम में शेष राशि के तदर्थ विभाजन के प्रावधान होने के उपरान्त भी मुख्य शीर्ष 0008-एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के तहत ₹9,125.21 करोड़ की राशि अप्रभाजित (ईनपुट टैक्स क्रेडिट, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के प्रभाजन और अग्रिम एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के प्रभाजन के परस्पर उपयोग के उपरान्त) रही। इस राशि का 50 प्रतिशत राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को देय था, परन्तु इस राशि को सी एफ आई में रखा गया और इसलिए यह राशि केन्द्र सरकार की देयता है।

2.7.3 शत्रु संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त को गलत दर्ज किया जाना

अगस्त 2019 में, सी जी ए ने वित्तीय परिसंपत्तियों और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से संबन्धित वित्त वर्ष 20 से प्रभावी एक उप शीर्ष 4000.05.101/102 खोला था। शत्रु संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त ₹1,882.40 करोड़ की राशि को नए खोले गए खाता शीर्ष 4000.05.101-‘वित्तीय आस्तियों की बिक्री’ के स्थान पर खाता शीर्ष 4000.04.190.22.01.00-‘भारत की संरक्षक संपत्ति (सी ई पी आई)’ में दर्ज किया गया।

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने स्वीकार किया (जनवरी 2021) को 4006.04.190 के तहत शत्रु संपत्ति की बिक्री से प्राप्त को गलत दर्ज किया गया।

2.7.4 राष्ट्रीय निवेश कोष से राजस्व व्यय का वित्तीयन

सरकार ने नवम्बर (2005) में राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन किया, जिसमें चयनित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी में निवेश से प्राप्त आय को प्रयुक्त किया जाता है। वित्त वर्ष 21 के प्राप्त बजट के अनुसार, राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा की गई धनराशि को निकाला जायेगा तथा उसका उपयोग वित्त वर्ष 20 में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर वित्तपोषण व्यय, स्वास्थ्य क्षेत्र और पूंजी व्यय के रूप में भारतीय रेलवे में निवेश के लिए किया जायेगा।

वित्त वर्ष 20 के वित्त लेखे की जांच के दौरान यह पाया गया की प्राप्ति बजट मे जो कहा गया था, उसके विपरीत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय निवेश कोष की निधियों का उपयोग कर राजस्व व्यय किया गया था। राष्ट्रीय निवेश कोष से कार्यात्मक शीर्ष 2210 के तहत चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित ₹43 करोड़ का व्यय किया गया।

प्रकरण आर्थिक कार्य विभाग को भेजा गया (जनवरी 2021) और उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2021)।


2.7.5 संघ सरकार के वित्त लेखे में ऋणात्मक नकद शेष

वित्त वर्ष 16 के दौरान जब केन्द्र सरकार का अंतिम नकद शेष (-)₹3397 करोड़ था तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) द्वारा 31 मार्च को न्यूनतम नकद रखने की सीमा ₹100 करोड़ रखी गई थी। इस ऋणात्मक अंतिम नकद शेष के फलस्वरूप आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा न्यूनतम नकद धारण की सीमा 31 मार्च 2018 को ₹100 करोड़ से बढ़ाकर ₹5,000 करोड़ कर दी गई थी।

संघ सरकार के वित्त लेखे के पिछले 5 वर्षों का अंतिम नकद शेष निम्नांकित आकृति 2.3 में दर्शाया गया है।

आकृति 2.3: संघ सरकार के वित्त लेखे मे अंतिम नकद शेष

(₹ करोड़ में)



वित्त वर्ष 20 के दौरान, हालांकि, अंतिम नकद शेष फिर से ऋणात्मक (-)₹2241 करोड़ हो गया। इस प्रकार 31 मार्च के लिए आर बी आई द्वारा न्यूनतम नकदी धारण सीमा में वृद्धि के बावजूद, संघ सरकार सं. स. वि. ले. में सकारात्मक नकदी शेष को बनाये रखने मे विफल रही, क्योंकि वित्त वर्ष 20 से सम्बन्धित शेष लेन-देन 31 मार्च 2020

को आर बी आई द्वारा निर्धारित नकदी धारण से अधिक थे। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में शेष लेन-देन वित्त वर्ष 19 के लिये ₹2,272 करोड़ से तीन गुना से अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 20 के लिये ₹7,594.51 करोड़ हो गया।

सी जी ए ने अपने उत्तर में कहा कि ऋणात्मक नकद शेष, लेखा शेष था और आर बी आई द्वारा 01 अप्रैल से 10 अप्रैल 2020 के दौरान वित्त वर्ष 20 के लिये शेष लेन-देन के कारण उत्पन्न हुआ। हालांकि संस्थागत बैंको द्वारा शेष लेन-देन के रूप में ₹7,594.51 करोड़ के कुल भुगतान के रिपोर्टिंग के कारण, 31 मार्च 2020 को नकद शेष राशि ऋणात्मक थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 10 अप्रैल के दौरान शेष लेन-देन संघ सरकार के वित्त लेखों के नकद शेष में शामिल हो जाते हैं और इसलिये न्यूनतम नकद धारण की गणना में अन्तर्निहित होते हैं।